ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

शहरों में शौचालयों की स्थिति

सक्रिय नागरिक, क्रियाशील शहर

प्रस्तावना

'सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना' 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में से एक लक्ष्य (SDG6) है। SDG6 के उद्देश्यों में से एक है: "2030 तक महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए पर्याप्त और न्याय संगत स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता की पहुँच सुनिश्चित करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना"। SDG6 का एक अन्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करने और अप्रशोधित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा (कम) करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।

जल और स्वच्छता की उपलब्धता और इस का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करने में शौचालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शौचालय का उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस भाग सभी मनुष्यों के लिए प्राकृतिक जरूरत को पूरा करने और निजी स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि शौचालय के कन्टेनमेंट/टैंक (ऑन–साइट प्रणाली में) के साथ एक बहुत गहन पर्यावरणीय संबंध जुड़ा हुआ है। शौचालय से संबंधित दो प्रमुख पहलू–शौचालय की उपलब्धता और मल अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था मुख्य रूप से चर्चा के विषयों में छाये रहते हैं।

2011 की जनगणना और इसके बाद 2015 में NSSO के प्रतिदर्श सर्वेक्षण में शहरी भारत में शौचालयों की उपलब्धता और सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियाँ सामने आईं। हाल के वर्षों में, शौचालयों को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम–उन्मुखी और अन्य प्रयास हो रहे हैं। जिसके फलस्वरूप शौचालयों की सुलभता, तकनीकी, उनकी विशेषताएँ, रखरखाव व्यवस्था और अन्य पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है।

तीन शहरों अजमेर (राजस्थान), झाँसी (उत्तर प्रदेश), और मुज़फ़्फ़रपुर (बिहार) में चल रहे यूरोपीय संघ समर्थित 'सक्रिय नागरिक क्रियाशील शहर' (ECRC) कार्यक्रम के तहत, शौचालयों की सुलभता को बेहतर करने लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनौपचारिक बस्तियों में पारिवारिक व सामुदायिक शौचालय तथा शहर भर के सार्वजनिक शौचालय शामिल हैं। इन शहरों में स्वच्छता सुविधाओं की सुलभता का परिवारों के सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया गया, जबकि सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को कवर करने के लिए एक अलग अध्ययन किया गया है।

यह पेपर इन शहरों में शौचालयों (पारिवारिक, सार्वजनिक और सामुदायिक) की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थिति द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से दर्शाई गई है। यह रिपोर्ट निष्कर्षों और आगे के लिए रणनीतिक रास्तों पर चर्चा के साथ समाप्त होती है।

विवेकानन्द गुप्ता
कंसल्टेंट, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया

विषय–सूची

1. सारांश 9
2. परिचय 11
2.1 पृष्ठभूमिः शौचालय और स्वच्छता वैल्यू चेन 11
2.2 पेपर के विषय में 12
2.3 पेपर के उद्देश्य 12
2.4 कार्यप्रणाली और सीमाएँ 12
3. शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था के लिए नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी प्रतिमान 13
3.1 स्वच्छता कार्यक्रमों का विकास – क्रम : NUSP और SBM (शहरी) 13
3.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 13
3.2.1 कार्यक्रम की संरचना 13
3.2.2 SBM (शहरी) के तहत प्रमाणन 15
3.2.3 SBM (शहरी) के तहत प्रगति 15
3.3 शौचालयों के लिए राज्य के मिशन और कार्यक्रम (राजस्थान, उ. प्र. और बिहार) 21
4. निजी पारिवारिक शौचालयों की स्थिति 22
4.1 तीन राज्यों में निजी पारिवारिक शौचालयों की उपलब्धता की स्थिति 22
4.2 तीन शहरों में पारिवारिक शौचालयों की स्थिति 24
4.2.1 पारिवारिक शौचालयों का प्रकार और कवरेज 25
4.2.2 सुलभता के आयाम 27
4.2.3 निजी पारिवारिक शौचालयों के प्रावधान के लिए योजना और कार्यान्वयन तंत्र 29
4.2.4 शौचालयों के कन्टेनमेंट प्रणाली (टैंक) के रख–रखाव की स्थिति 30
4.3 शहरों से अच्छे प्रयासों और बदलाव की कहानियाँ 31
5. सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति 32
5.1 तीन राज्यों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता की स्थिति 32
5.2 तीन शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति 33
5.2.1 कवरेज 33
5.2.2 सुलभता के आयाम 34
5.2.3 योजना और कार्यान्वयन तंत्र 34
5.3 शहरों से अच्छे प्रयासों और बदलाव की कहानियां 35

6. शौचालय डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में नवाचार 36
6.1 शौचालयों पर केस स्टडीः योजना और तकनीकी परिप्रेक्ष्य 36
6.2 शौचालयों पर केस स्टडीः प्रबंधन और संचालन–प्रणाली परिप्रेक्ष्य 36
6.2.1 समुदाय द्वारा संचालन और रखरखाव पर आधारित केस 36
6.2.2 अन्य मॉडल 36
7. निष्कर्ष और आगे का रास्ता 37
8. संदर्भ 38

आरेखों की सूचीः

आरेख 1: शौचालयों के लिए प्रमुख नियामक, नीति और कार्यक्रम संबंधी पहलों का घटनाक्रम 13
आरेख 2: SBM (शहरी) के तहत पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र 16
आरेख 3: तीन राज्यों में निर्मित IHHL (संख्या) का रुझान 20
आरेख 4: तीन राज्यों में निर्मित सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों (सीटों) का रुझान 20
आरेख 5: तीन राज्यों और भारत के शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक शौचालय सुविधा विहीन परिवारों का प्रतिशत – 2011 22
आरेख 6: शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने वाले पारिवारिक शौचालय विहीन परिवारों का प्रतिशत – 2011 22
आरेख 7: शहरी क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा के प्रकार – 2011 23
आरेख 8: निजी पारिवारिक शौचालय वाले परिवार 25
आरेख 9: अनौपचारिक बस्तियों में साझा शौचालयों और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का उपयोग 25
आरेख 10: फ्लशिंग के आधार पर पारिवारिक शौचालयों के प्रकार 26
आरेख 11: कन्टेनमेंट/निस्तारण/परिवहन प्रणाली के आधार पर पारिवारिक शौचालयों के प्रकार 26
आरेख 12: निजी पारिवारिक शौचालय न होने के कारण 27
आरेख 13: निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए आवेदन और ULB द्वारा आवेदन की स्वीकृति 28
आरेख 14: उन परिवारों का प्रतिशत जिनके सेप्टिक टैंक कभी खाली नहीं किये गए 30
आरेख 15: उन परिवारों का प्रतिशत जिनके सेप्टिक टैंक को हस्तचालित तरीकों का प्रयोग करके खाली किया गया 31
आरेख 16: सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय वाले वार्डों का प्रतिशत 32

आरेख 17: सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय सुविधा वाले वार्डों का प्रतिशत 33

आरेख 18: प्रति 1 लाख जनसंख्या पर चालू हालत वाले सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की संख्या 34

तालिकाओं की सूची:

तालिका 1: SBM (शहरी) के तहत शौचालय सम्बन्धी घटकों के लिए लक्ष्यीकरण प्रणाली 14

तलिका 2: पारिवारिक शौचालय वाले परिवारों में से उन परिवारों का प्रतिशत जिन्हें पारिवारिक शौचालय में उपयोग के लिए पानी सुलभ है 24

तालिका 3: खुले में शौच के लिए जाने वाले संबंधित आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत 25

तालिका 4: तीन शहरों में निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया 29

तालिका 5: SBM (शहरी) के तहत IHHL को लागू करने में ECRC कार्यक्रम के माध्यम से प्रिया के प्रयासों की भूमिका 30

तालिका 6: सेनेटरी शौचालय विहीन परिवारों में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं 32

बॉक्सों की सूची:

बॉक्स 1: अजमेर में निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए समृद्ध व्यक्तियों से वित्तीय संसाधनों का संयोजन 31

बॉक्स 2: मुजफ्फरपुर में सामुदायिक शौचालय में सुधार के लिए समुदाय की पहल 35

बॉक्स 3: झाँसी में पिंक टॉयलेट 35

संकेताक्षरों की सूचीः

BMGF	Bill & Melinda Gates Foundation (बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन)
CBO	Community Based Organization (समुदाय आधारित संगठन)
CT	Community Toilet (सामुदायिक शौचालय)
DRDO	Defence Research and Development Organisation (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)
DUAC	Delhi Urban Art Commission (दिल्ली नगर कला आयोग)
ECRC	Engaged Citizens Responsive City (सक्रिय नागरिक, क्रियाशील शहर)
EU	European Union (यूरोपीय संघ)
FSM	Faecal Sludge Management (फीकल स्लज मैनेजमेंट / मल–गाद प्रबन्धन)
IHHL	Individual Household Latrine (पारिवारिक शौचालय / निजी पारिवारिक शौचालय)
JNNURM	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal MissionMission (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना)
MIS	Management Information System (प्रबंधन सूचना प्रणाली)
NGO	Non Governmental Organization (गैर सरकारी संगठन या गैर सरकारी संस्था)
NSSO	National Sample Survey Office (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)
NUSP	National Urban Sanitation Policy (राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति)
ODF	Open Defecation Free (खुले में शौच मुक्त / ओ.डी.एफ.)
PRIA	Participatory Research in Asia (पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया / प्रिया)
PSE	Participatory Settlement Enumeration (बस्तियों में सहभागी मूल्यांकन)
PT	Public Toilet (सार्वजनिक शौचालय)
RUIDP	Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना)
SBM	Swachh Bharat Mission (स्वच्छ भारत मिशन)
SIC	Settlement Improvement Committee (बस्ती विकास समिति)
SDG	Sustainable Development Goals (सतत् विकास लक्ष्य)
UIDSSMT	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढाँचा विकास योजना)
ULB	Urban Local Body (शहरी निकाय / शहरी स्थानीय निकाय)

1. सारांश

यह पेपर गवर्नेंस (शासन) के तीन स्तरों पर शहरी शौचालयों – व्यक्तिगत और सार्वजनिक, दोनों की स्थिति को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इस पेपर में प्रस्तुत निष्कर्ष द्वितीयक और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित हैं। अध्ययन में तीन राज्यों–राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार– और इन राज्यों में तीन शहरों– अजमेर, झाँसी और मुजफ्फरपुर के आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

शहरों में शौचालय सुविधा के प्रावधान में एक प्रमुख आवेग 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) – शहरी के साथ आया, जिसके मिशन उद्देश्यों में एक था – 'खुले में शौच को समाप्त करना'। SBM के तहत, पूरे देश में बड़े पैमाने पर शौचालयों की सुविधा का विकास किया गया है। फरवरी 2019 तक के SBM आंकड़ों के अनुसार, कुल 56,63,042 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL) का निर्माण पूरा हुआ है, जो 2011 की जनगणना में प्रगणित शहरी भारत में खुले में शौच करने वाले लगभग 57% परिवारों की संख्या के तुल्य है। पूरे भारत में, कुल 3,258 शहरों को 'खुले में शौच मुक्त' (ओ.डी.एफ.) घोषित किया गया है। जनवरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे शहरों की संख्या क्रमशः 168, 300 और 99 है।

शहरों में किये गए सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अजमेर, झाँसी और मुजफ्फरपुर की अनौपचारिक बस्तियों में निजी पारिवारिक शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत 81% से 84% तक है। इन शहरों में ज्यादातर निजी शौचालय, सफाई (फ्लशिंग) के लिए पोर फ्लश (अलग से पानी डालकर फ्लश करना) जैसे इंतजाम और कन्टेनमेंट प्रणाली के रूप में सेप्टिक टैंक पर निर्भर करते हैं। अजमेर में कई घर सीवर से जुड़ रहे हैं। पिट लैट्रिन की उपस्थिति केवल मुजफ्फरपुर में ही देखी गयी।

शहरों को शौचालय के माध्यम से एक सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर, तीन शहरों में निजी पारिवारिक शौचालय नहीं होने का सबसे बड़ा कारण वित्त पोषण का अभाव है, जो IHHL के लिए प्रोत्साहन राशि पर पुनर्विचार करने और वैकल्पिक वित्तीय साधनों की जरूरत की तरफ़ संकेत करता है। इन शहरों में, कम अनुपात में परिवारों ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया और आवेदन अस्वीकृति के उदाहरण अधिक पाए गए। शौचालयों से सम्बंधित कणात्मक आँकड़े, विशेष रूप से कम आय वाली बस्तियों के लिए, जो एक सहभागी मूल्यांकन पद्धति से एकत्र किये गए हों, निजी शौचालयों की कार्यान्वयन चुनौतियों से निपटने में शहरी निकायों के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। निजी शौचालयों की कमी को पूरा करने और घरों को सेप्टेज (मल–गाद) के समुचित प्रबंधन के लिए आगे जोड़ने के लिए शहरी निकायों की ओर से एक सक्रिय प्रयास आवश्यक है। लोगों में निजी शौचालय बनवाने की इच्छा का अभाव होने का एक कारण शौचालय में उपयोग के लिए पर्याप्त पानी का उपलब्ध न होना भी पाया गया।

सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय (जो चालू हालत में हैं) की सुविधा वाले वार्डों का प्रतिशत मुजफ्फरपुर में 33% और झाँसी में 72% है, जबकि अजमेर में 52% वार्डों में प्रयोग में आने लायक सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय हैं। इसी तरह, झाँसी में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय की संख्या सबसे अधिक (13.2) है, इसके बाद अजमेर (10.9) और मुजफ्फरपुर (7.3) का स्थान है। मुज़फ़्फ़रपुर में 42 प्रतिशत सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं नहीं

हैं। अजमेर में अलग से बने हुए यूरिनलों (पेशाब घरों) में से केवल 18% में और झाँसी में 21% में महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं। इन शहरों में अन्य मूत्रालय केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं। सार्वजनिक शौचालय की अधिकांश सुविधाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं हैं। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का पूर्ण भौगोलिक कवरेज प्राप्त करने के लिए, भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। समुदाय (या सामुदायिक संगठनों) द्वारा सामुदायिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव का एक व्यवस्थागत प्रावधान रखरखाव के मुद्दों का समाधान कर सकता है।

3 शहरों में औपचारिक इलाकों और अनौपचारिक बस्तियों में सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए हस्तचालित तरीकों का उपयोग, फ्लश शौचालय की उपलब्धता, पिट–लैट्रिन की व्यापकता और सीवर कनेक्शन की उपलब्धता जैसी सुविधाओं और प्रथाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। शहरी गरीब समुदायों को संगठित करने की एक पहल के तहत बस्ती विकास समिति (SIC) नामक स्वैच्छिक समूहों के गठन ने इन शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने में मदद की है। शहरों के कम आय वाले बस्तियों की स्थिति में सुधार के लिए बहु हितधारक मंचों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है।

इन तीन शहरों में किए गए सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि लगभग 50–85% परिवारों ने अपने शौचालय के टैंकों/सेप्टिक टैंकों को कभी खाली नहीं किया, जबकि खाली करने के लिए किसी प्रकार के हस्तचालित तरीकों का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 10% से 68% तक पाया गया। यह सेप्टिक टैंकों की कार्य प्रणाली, जल संसाधनों को स्वच्छ रखने में उनकी भूमिका और पर्यावरण–स्वास्थ्य संबंधों पर एक व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण, सुविधा प्रावधान तंत्र के साथ सीधे जुड़ा हुआ है जैसे राजमिस्त्रियों के क्षमता–वर्धन से भविष्य में उपयुक्त शौचालय कन्टेनमेंट प्रणाली (टैंक) का निर्माण करने में मदद मिल सकती है।

संक्षेप में, यह दोहराया जा सकता है कि निर्मित बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और समन्वित सेप्टेज प्रबंधन के द्वारा पूर्ण कवरेज प्राप्त करने पर बल देने की आवश्यकता है जिसके लिए एक व्यापक नागरिक जुड़ाव और बहु–हितधारक क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है।

2. परिचय

2.1 पृष्ठभूमिः शौचालय और स्वच्छता वैल्यू चेन

शौचालय उन मुख्य सूक्ष्म आधारभूत सुविधाओं में से एक है, जिस पर हम अपने दैनिक जीवन में निर्भर हैं। वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शहर में जीवन के लिए आवश्यक भोजन और पानी उपलब्ध कराने वाले स्थान। पर्यावरणीय तत्वों से और इस कारण से स्वास्थ्य के साथ शौचालयों का सम्बन्ध इसे शहरी जीवन का और भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व बना देता है। शौचालयों की उपलब्धता में सुधार सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए एक कुंजी है, क्योंकि SDGs के लक्ष्य – 6 के प्रयोजनों में से एक है –"2030 तक महिलाओं और बालिकाओं तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता की पहुँच सुनिश्चित करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना"[1]।

शहर या इलाके में सीवेज की निस्तारण (परिवहन) प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर शौचालय दो तरह के होते हैं। केवल उपयोगकर्ता इंटरफेस वाले शौचालय ऑफ–साइट प्रणाली में पाए जाते हैं, जबकि ऑन–साइट प्रणाली में शौचालय उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ संग्रह और प्रशोधन टैंक (आमतौर पर भूमिगत) से युक्त होते हैं। चूंकि, भारत में 60%[2] पारिवारिक लैट्रिन ऑन–साइट प्रणाली वाले हैं, शौचालय शब्द 'संग्रह व प्रशोधन टैंक वाले शौचालय' या 'शौचालय जिसमें उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और प्रशोधन टैंक दोनों है' की ओर इंगित करता है।

चूंकि, शौचालयों की आवश्यकता की प्रकृति ऐसी है, हर किसी के पास शौचालय की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वह किसी स्थान पर या कोई भी समय क्यों न हो। विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जिनकी स्वच्छता की ज़रूरतें अलग हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए शौचालय बहुत आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए मानव गतिविधि के हर स्थान पर अनवरत रूप से शौचालय की आवश्यकता होती है। हालांकि, निवास स्थान पर शौचालय होना एक मौलिक ज़रूरत है, कार्य स्थलों और कभी–कभार आने–जाने की जगहों पर इसकी कमी, लगभग समान तरह की असुविधा पैदा कर सकती है।

भारत की शहरी आबादी का लगभग 17%[3], अनौपचारिक बस्तियों (स्लम) में रहता है, जो मुख्य रूप से शहरी गरीबों के निवास स्थान हैं। अनौपचारिक बस्तियां शहरों में अनियोजित क्षेत्र हैं, जो अक्सर अनधिकृत भूमि पर स्थित होती हैं और उनकी विशेषताओं में उच्च घनत्व, छोटे आवास इकाइयां और संकरे रास्ते, व्यक्तिगत पहचान या संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों का न होना आदि शामिल हैं। ऑफ–साइट प्रणाली वाले कुछ शहरों में अनौपचारिक बस्तियाँ शहर के सीवर सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई हैं। इसलिए अनौपचारिक बस्तियां आम तौर पर ऑन–साइट प्रणाली पर निर्भर होती हैं।

---

[1] http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html#targets

[2] पारिवारिक शौचालयों वाले ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनके शौचालय सीवर प्रणाली से नहीं जुड़े हुए हैं, HH-8 विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधा की उपलब्धता के आधार पर परिवारों की संख्या, भारत की जनगणना 2011

[3] भारत की जनगणना 2011

2.2 पेपर के विषय में

यह पेपर तीन मध्यम आकार की स्मार्ट सिटीज में शौचालयों (निजी पारिवारिक शौचालय और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय) की मौजूदा स्थिति का विवेचन करने का प्रयास करता है और जमीनी वास्तविकताओं से प्राप्त सीखों को सामने लाता है। यह SBM (शहरी) के कार्यक्रम–उन्मुखी विश्लेषण से शुरू होता है, जिसमें लक्ष्यीकरण विधियों और अन्य पहलुओं के साथ प्रोत्साहन राशि प्रावधान के स्वरूप पर विशेष जोर दिया गया है। यह शौचालयों की वास्तविक स्थिति, सुगमता के पहलुओं, पहलों को लागू करने के तरीकों और नागरिकों की भूमिका जैसी बारीकियों का विवेचन करने के लिए राज्यों और शहर के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पेपर कार्यक्रम के तत्वों के संबंध में सुविधाओं की सुलभता और शहरों में प्रचलित कार्यान्वयन तंत्रों जैसे पहलुओं की गहराई में जाकर विश्लेषण करता है और सुधार के लिए कार्यान्वयन और नीतिगत सबक व्युत्पन्न करने की कोशिश करता है।

2.3 पेपर के उद्देश्य

- शौचालय (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय) के प्रावधान के लिए कार्यक्रम–सम्बन्धी और नीतिगत प्रतिमान की समीक्षा करना
- मध्यम–आकार वाले स्मार्ट सिटीज से सुलभता सम्बन्धी प्रमुख चुनौतियों और कार्यान्वयन सम्बन्धी सीखों को चिन्हांकित करना
- शौचालयों की व्यवस्था में नागरिक भागीदारी और सहभागी तत्वों का विवेचन करना
- जमीनी वास्तविकताओं से निकले नीतिगत आशयों की पहचान करना
- बेहतर कार्यक्रम डिजाइन और शौचालयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा लाना

2.4 कार्यप्रणाली और सीमाएँ

इस स्टैटस पेपर को तैयार करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली प्राथमिक और द्वितीयक शोध तकनीकों का एक संयोजन है। रिपोर्ट में तीन शहरों में किए गए स्वच्छता की स्थिति पर किये गए प्राथमिक सर्वेक्षणों से प्राप्त आँकड़ों का व्यापक उपयोग किया गया है। यह सर्वेक्षण दिसंबर 2016–मई 2017 के दौरान अजमेर और झाँसी में किए गए थे। मुज़फ़्फ़रपुर में यह मार्च–जून 2018 के दौरान किया गया था। शौचालयों के प्रावधान से संबंधित प्रक्रियाओं, मुद्दों और संस्थागत तंत्र की बारीकियों को समझने के लिए इन शहरों में प्रमुख जानकारों के साथ चर्चा की गई। इस पेपर में, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए आंकड़े, अजमेर और मुजफ्फरपुर में प्रिया द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण से लिए गए हैं। झाँसी में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए, झाँसी के नगर निगम से एकत्र आंकड़ों का उपयोग किया गया है। स्थानिक आयामों को देखने के लिए, राज्यों और शहरों को मानचित्रित करने हेतु ArcGIS 10.5 का प्रयोग किया गया है। इस पेपर में प्रयुक्त के द्वितीयक आँकड़ों के प्रमुख स्रोत भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) वेबसाइट (MIS) हैं।

यह पेपर FSM के पूरे वैल्यू–चेन को कवर नहीं करता है – विशेष रूप से परिवहन और प्रशोधन। इस पेपर में मिशन की वित्तीय प्रगति और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की प्रक्रियायें व उपलब्धियां विस्तार से शामिल नहीं हैं।

3. शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था के लिए नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी प्रतिमान

3.1 स्वच्छता कार्यक्रमों का विकास – क्रम : NUSP और SBM (शहरी)

सन् 2005 में शुरू किये गए JNNURM के साथ शहरी आधारभूत संरचना ढांचे के विकास में एक बड़ा संवेग आया। JNNURM के उप–मिशनों में से एक शहरी गरीबों के लिए मौलिक सुविधाओं पर केंद्रित था। सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक शौचालय इसके अंतर्गत आने वाले अन्य अवयवों में शामिल थे। UIDSSMT के तहत छोटे शहरों को कवर किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (NUSP) की शुरुआत के साथ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए विशिष्ट नीति 2008 में अस्तित्व में आई। जागरूकता उत्पन्न करना, व्यवहार परिवर्तन, सभी स्वच्छता सुविधाओं को संचालन और रखरखाव के साथ–साथ 'खुले में शौच मुक्त शहर' NUSP द्वारा निर्धारित किए गए तीन व्यापक लक्ष्यों में से एक था। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) – शहरी को, जिसके मिशन उद्देश्यों में से एक था 'खुले में शौच का उन्मूलन', को 1.04 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय और 5.08 लाख सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य के साथ 2014 में शुरू किया गया[4]।

आरेख 1: शौचालयों के लिए प्रमुख नियामक, नीति और कार्यक्रम संबंधी पहलों का घटनाक्रम

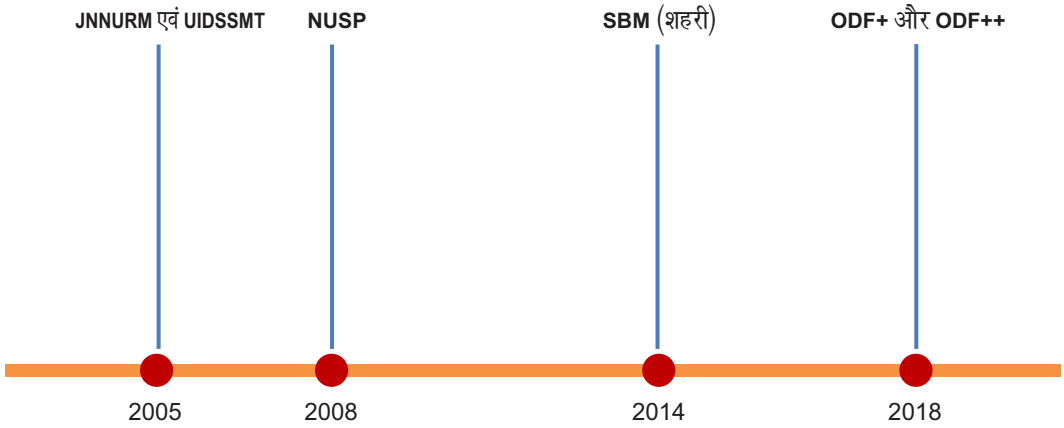

3.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

3.2.1 कार्यक्रम की संरचना

'निजी पारिवारिक शौचालय' (अनुपयुक्त शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपान्तरण सहित), सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, SBM (शहरी) के छह मिशन घटकों में शामिल हैं। SBM (शहरी) के संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लिखित शहरी शौचालयों सम्बंधी प्रावधानों पर नीचे चर्चा की गई है:

[4] http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/mission_yearwise_targets.pdf

कवरेज

सभी वैधानिक शहरों को SBM (शहरी) के अंतर्गत कवर किया गया है।

लक्षित आबादी

मिशन दिशानिर्देश शौचालय घटकों के लिए आबादी के किसी भी लक्ष्य समूह का विशिष्ट जिक्र नहीं करता है। हालांकि, यह स्पट है कि दो घटकः घरेलू शौचालय और सामुदायिक शौचालय शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों की अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। जबकि सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय का प्रयोजन शहरी आबादी के सभी हिस्सों का ध्यान रखना है।

कार्यान्वयन संरचना

शहरी निकायों को शौचालय घटक के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें परियोजना की तैयारी, अनुमोदन, खरीद आदि शामिल हैं। सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों के लिए न्यूनतम पांच साल के लिए रखरखाव अनुबंध का प्रावधान है।

लक्ष्यीकरण प्रणाली

विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए बनाये गए दो घटकों के लिए अपनायी जाने वाली लक्ष्यीकरण प्रणाली का नीचे वर्णन किया गया हैः

तालिका 1: SBM (शहरी) के तहत शौचालय सम्बन्धी घटकों के लिए लक्ष्यीकरण प्रणाली

	निजी पारिवारिक शौचालय	सामुदायिक शौचालय
लाभार्थी की परिभाषा	वे परिवार जिन्हें पारिवारिक शौचालय सुलभ नहीं है या जिनके पास एक अनुपयुक्त शौचालय है।	लाभार्थी को 'परिवारों का एक समूह ("लाभार्थी परिवार समूह") के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके सदस्य खुले में शौच करते हैं और जिनके पास न तो शौचालय है और न ही नया शौचालय बनाना व्यवहार्य (फिजिबल) है। दिशानिर्देश के अनुसार प्रोत्साहन लाभ अनियमित बस्ती के प्रकार और पट्टे की स्थिति से नहीं जुड़े हैं।
लक्ष्य परिभाषा	खुले में शौच करने वाले 80% परिवार और सभी परिवार, जिनके पास अनुपयुक्त शौचालय या एक–पिट वाले लैट्रिन हैं।	20% खुले में शौच करने परिवार।
पहचान और चयन की प्रक्रिया/विधि	लाभार्थी का चयन शहरी निकाय की रणनीति के अनुसार होगा। लाभार्थी चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत हैं–जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान, डोर–टू–डोर (घर–घर जाकर) सर्वेक्षण के माध्यम से आधारभूत आँकड़े (बेस लाइन डेटा) बनाना, पारिवारिक शौचालयों के लिए लाभार्थी की पहचान करना और सामुदायिक शौचालय की योजना बनाना।	पहचान की प्रक्रिया को शहरी निकायों (ULB) द्वारा डिज़ाइन किया जाना है। पहचान का तरीका आवेदन आधारित या सर्वेक्षण आधारित, जो समुदाय की भागीदारी के साथ या बिना भागीदारी के हो सकता है।

स्रोतः आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (2017),'गाइडलाइन्स फॉर स्वच्छ भारत मिशन– अर्बन'

प्रोत्साहन राशि की संरचना

निजी पारिवारिक शौचालयः SBM (शहरी) के तहत पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि रू. 4,000 अनुदान के रूप में मिलती है। अनुदान राशि को दो किस्तों में जारी किये जाने का प्रावधान है। दिशानिर्देश राज्यों या ULB के योगदान पर कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सुविधा का उपयोग करके लाभार्थियों के खाते में सीधे प्रोत्साहन राशि जमा करने का प्रावधान है [1]।

सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालयः सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि लागत के 40% भाग को कवर करने वाले केंद्र के अनुदान के रूप में मिलता है, जो कि सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय के लिए प्रति सीट रू. 39,200 और मूत्रालय के लिए रू. 12,800 प्रति यूनिट है। राज्य के योगदान (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों) को सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के लिए न्यूनतम रू. 26,134 प्रति सीट और मूत्रालय के लिए रू. 8,534 प्रति यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया है [1]।

अभिसरण (कन्वर्जेन्स)

SBM (शहरी) राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से समन्वय के रूप में और रेलवे की भूमि पर शौचालय बनाने के लिए रेलवे के साथ भी अभिसरण चाहता है।

3.2.2 SBM (शहरी) के तहत प्रमाणन

सभी 4,041 वैधानिक शहरों से अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को खत्म करने के उद्देश्य से, SBM (शहरी) ने ODF प्रमाणन शुरू किया [2]। बाद में सन 2018 में, ODF+ और ODF++ की शुरुआत हुई। ODF की शर्तों के अनुसार दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। ODF+ के लिए, इसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और सुव्यवस्थित होने चाहिए। ODF++ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मल–गाद (फीकल स्लज) और सेप्टेज के सुरक्षित प्रबंधन व प्रशोधन के पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है [3]।

3.2.3 SBM (शहरी) के तहत प्रगति

पूरे भारत में, कुल 3,258 शहर खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किए गए हैं। जनवरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह संख्या क्रमशः 168, 300 और 99 है[5]।

फरवरी 2019 तक के SBM आंकड़ों के अनुसार, कुल 56,63,042 पारिवारिक शौचालयों (IHHL) का निर्माण पूरा हुआ है, जो 2011 की जनगणना में प्रगणित शहरी भारत में खुले में शौच करने वाले लगभग 57% परिवारों की संख्या तथा पारिवारिक शौचालय विहीन 39% परिवारों की संख्या के तुल्य है। SBM (शहरी) के तहत निर्मित हो चुकी कुल सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय सीटें 4,83,649 हैं। फरवरी 2019 तक पूरे किए गए पारिवारिक शौचालयों और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की कुल संख्या दिखाने वाले मानचित्र अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत किये गए हैं।

[5] स्रोतः ओ.डी.एफ. स्टेटस – इंडिया, http://sbmodf.in/पर उपलब्ध, 27 जनवरी 2019 को एक्सेस किया गया

आरेख 2 : SBM (शहरी) के तहत पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र

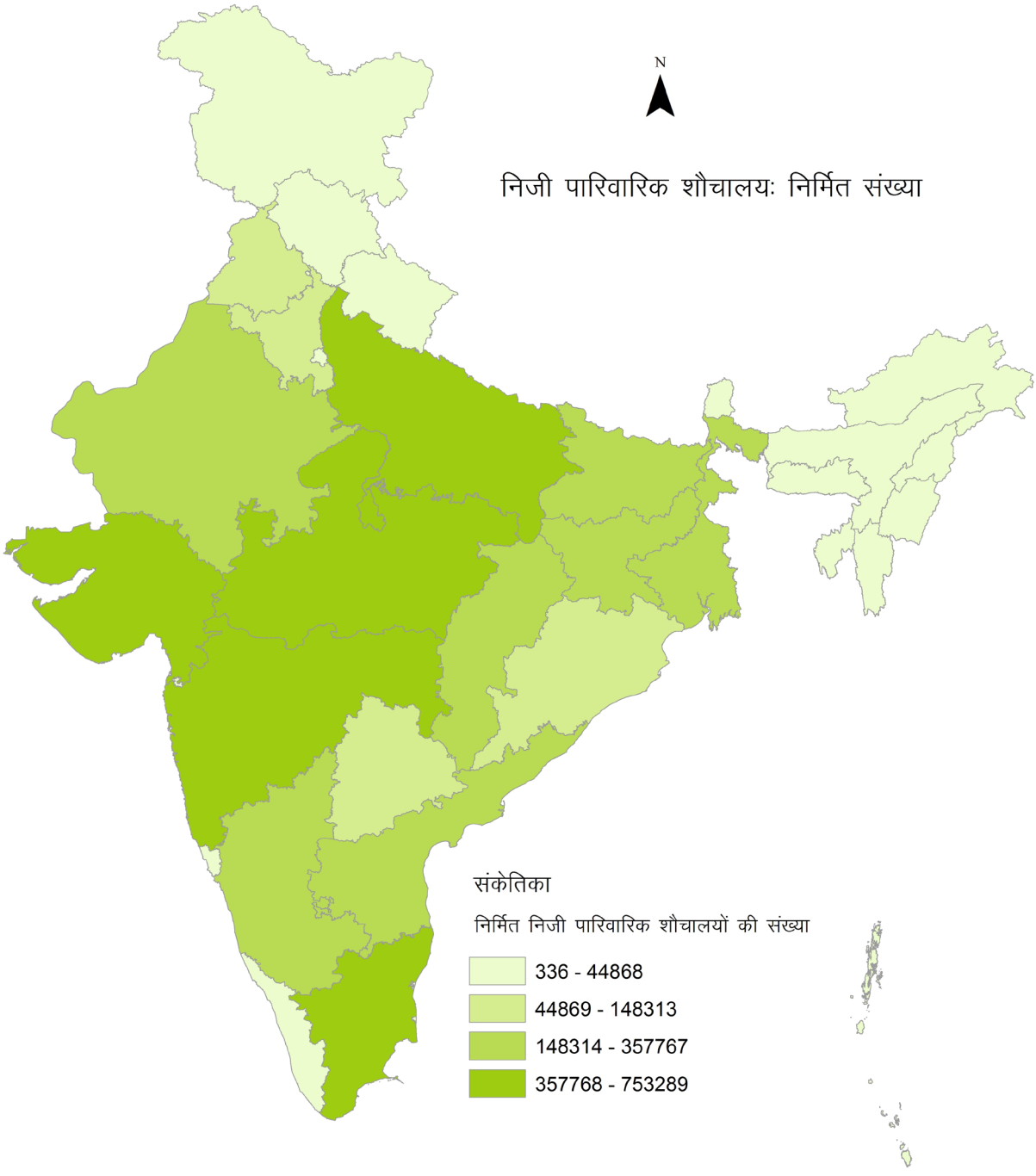

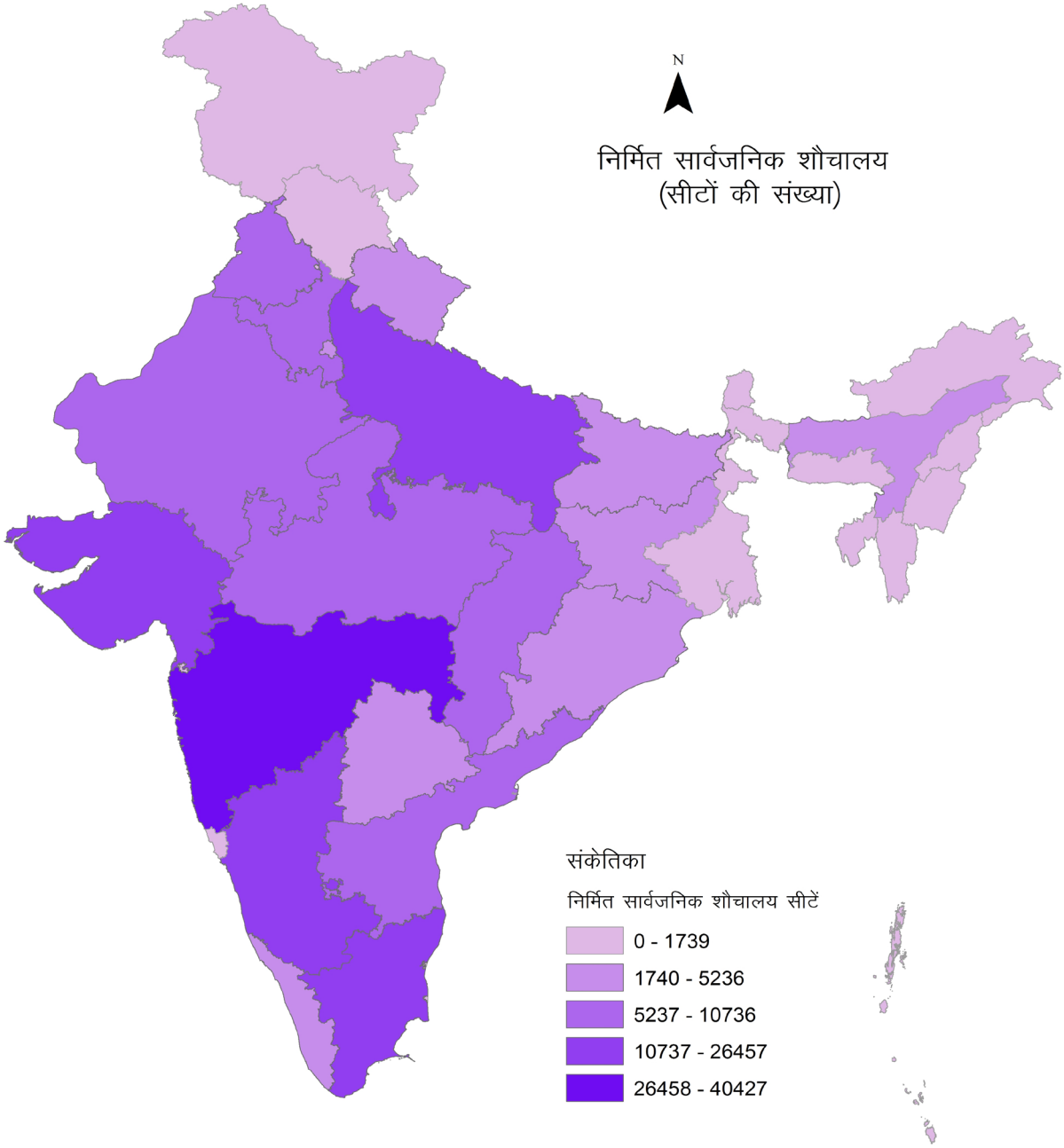
N
निर्मित सार्वजनिक शौचालय
(सीटों की संख्या)
संकेतिका
निर्मित सार्वजनिक शौचालय सीटें
0 - 1739
1740 - 5236
5237 - 10736
10737 - 26457
26458 - 40427

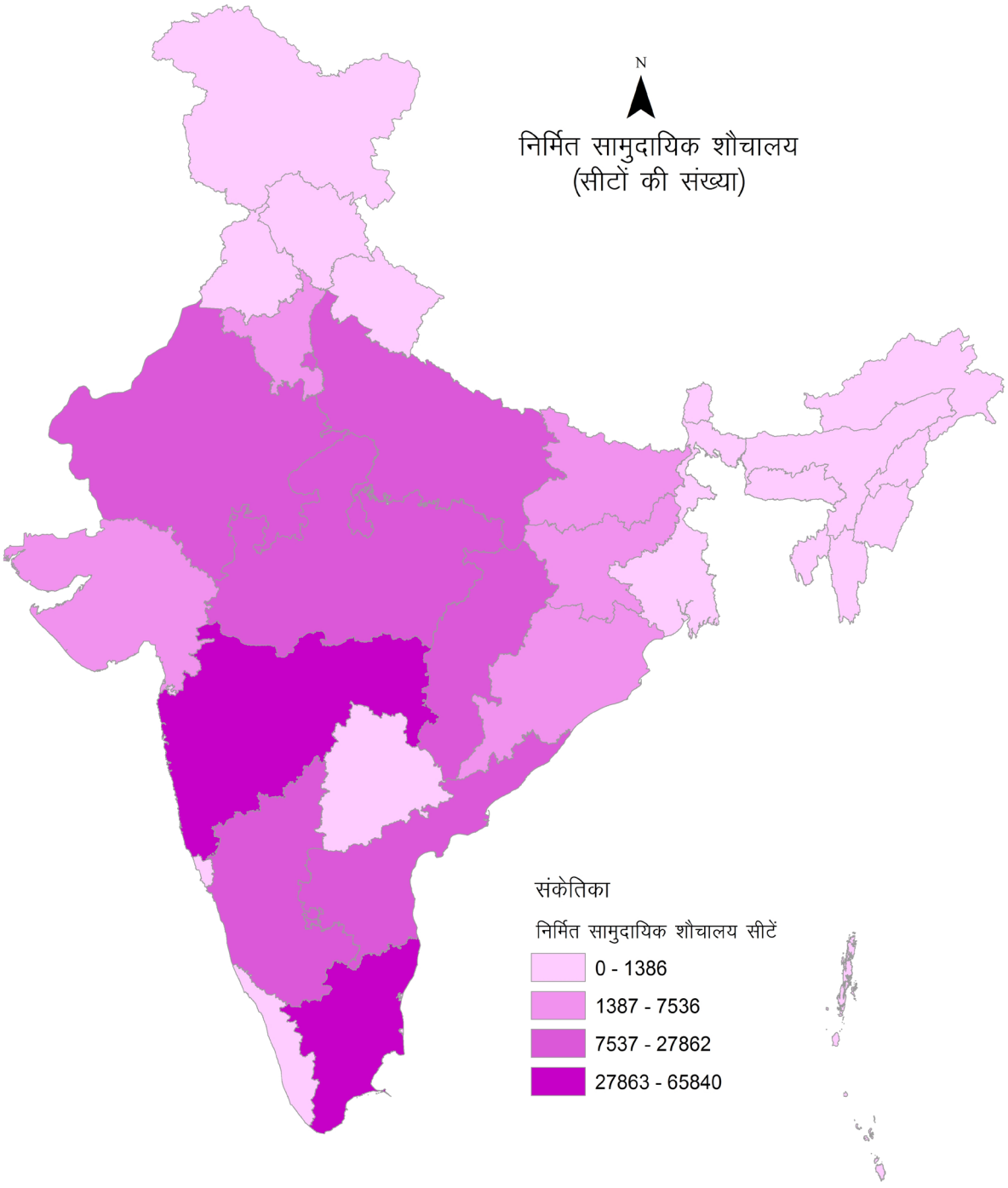
N
निर्मित सामुदायिक शौचालय
(सीटों की संख्या)
संकेतिका
निर्मित सामुदायिक शौचालय सीटें
0 - 1386
1387 - 7536
7537 - 27862
27863 - 65840

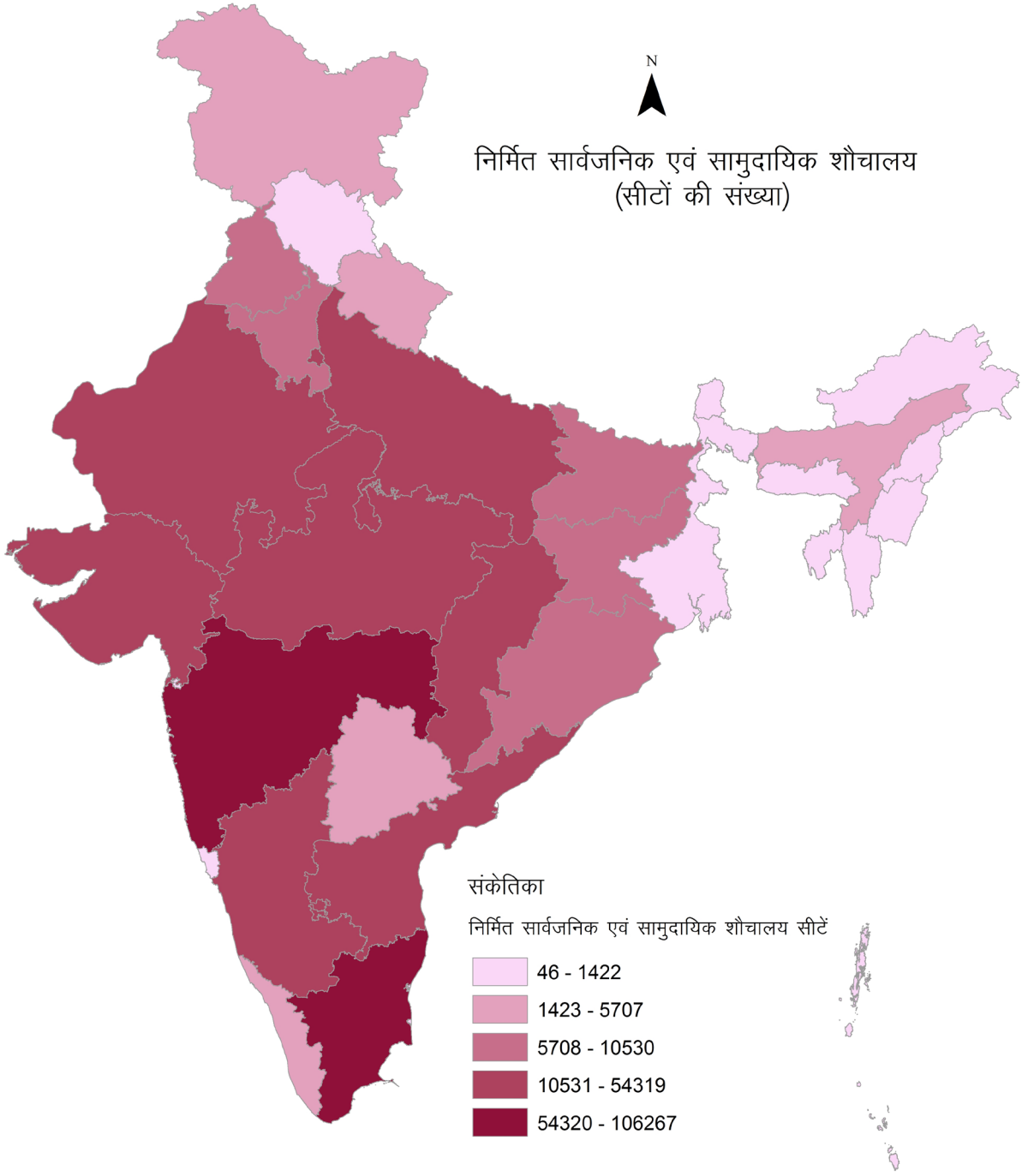

मानचित्रों के लिए आंकड़ों के स्रोतः SBM (शहरी) की वेबसाइट से प्राप्त SBM के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति–फरवरी 2019 तक

बेस मैप का स्रोतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग https://indiamaps.gov.in/soiapp/

दिए गए मानचित्र बताते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश पारिवारिक शौचालयों को पूरा करने में अग्रणी हैं, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र उन राज्यों में से हैं, जहां सबसे अधिक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जनवरी 2019 तक, कुल 373 शहरी स्थानीय निकायों को ODF+ जबकि 165 को ODF++ के रूप में प्रमाणित किया गया है [4]।

आरेख 3: तीन राज्यों में निर्मित IHHL (संख्या) का रुझान

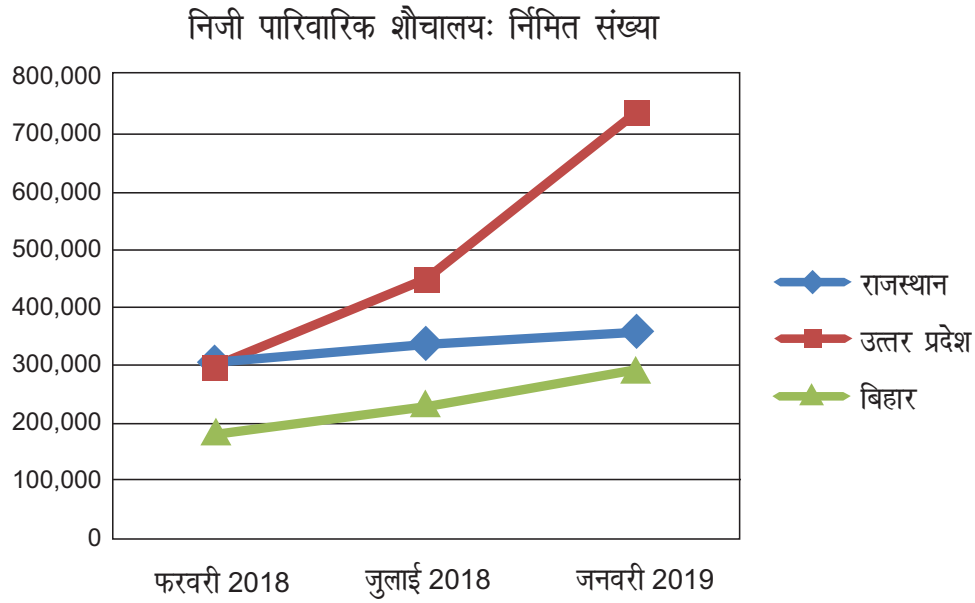

स्रोतः SBM (शहरी) की वेबसाइट से प्राप्त SBM के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति–फरवरी 2018, जुलाई 2018 और जनवरी 2019 तक

आरेख 4: तीन राज्यों में निर्मित सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों (सीटों) का रुझान

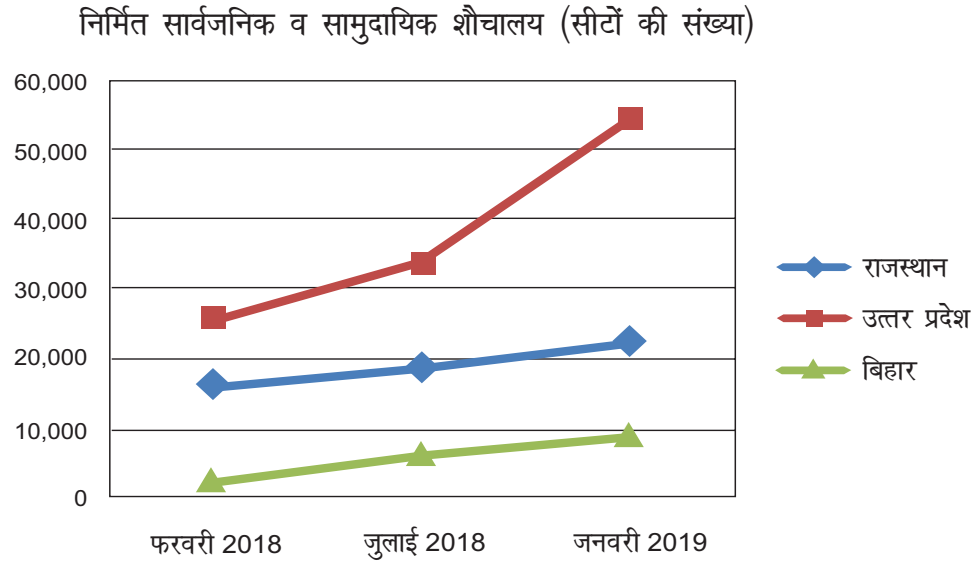

स्रोतः SBM (शहरी) की वेबसाइट से प्राप्त SBM के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति– फरवरी 2018, जुलाई 2018 और जनवरी 2019 तक

शौचालयों के निर्माण की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में तेजी से वृद्धि दिखाती है, जबकि बिहार और राजस्थान में यह धीमी दर से बढ़ी है।

3.3 शौचालयों के लिए राज्य के मिशन और कार्यक्रम (राजस्थान, उ.प्र. और बिहार)

ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में शौचालयों पर केंद्रित कोई राज्य–स्तरीय योजना नहीं है। 1998 में एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार के सहयोग से शुरू की गई राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) अन्य शहरी बुनियादी ढांचे के साथ अपशिष्ट जल संग्रह और प्रशोधन प्रणालियों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में, कस्बों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए, दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना और दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हैं। बिहार में, सात निश्चय मिशन के तहत, 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' (प्रत्येक घर के लिए शौचालय की सुविधा) सात निश्चयों में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध कराना और खुले में शौच मुक्त बिहार बनाना है।

4. निजी पारिवारिक शौचालयों की स्थिति

4.1 तीन राज्यों में निजी पारिवारिक शौचालयों की उपलब्धता की स्थिति

शहरी क्षेत्रों में शौचालय सुविधाओं की स्थिति को देश में पहली बार 2011 की जनगणना द्वारा सविस्तार परिमाणित किया गया था। प्रचलित शौचालय सुविधाओं के प्रकार का गुणात्मक पहलू जैसे कि कन्टेनमेंट प्रणाली (टैंक) की प्रकृति और सार्वजनिक शौचालय पहली बार शामिल किए गए थे। 2011 की जनगणना से प्राप्त कुछ तथ्य जो भारत और अध्ययन के तहत तीन राज्यों के स्तर पर वृहत् तस्वीर को दर्शाते हैं वह नीचे प्रस्तुत किये गए हैं:

आरेख 5: तीन राज्यों और भारत के शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक शौचालय सुविधा विहीन परिवारों का प्रतिशत– 2011

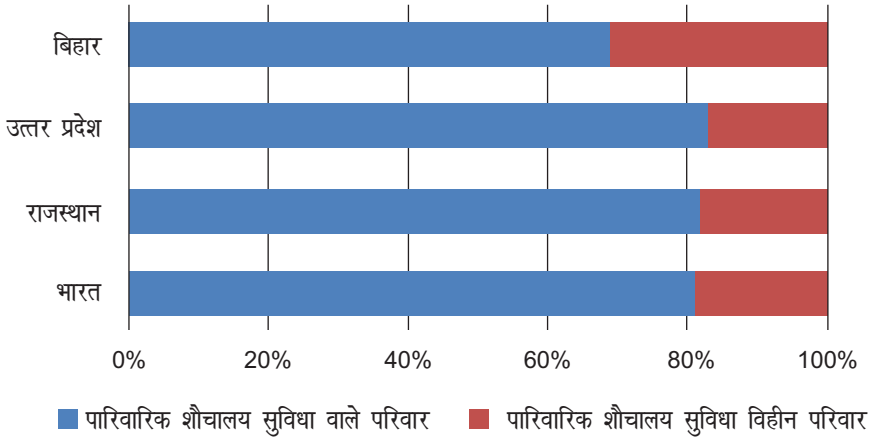

स्रोत: HH-8 विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधा की उपलब्धता के आधार पर परिवारों की संख्या, भारत की जनगणना 2011

आरेख 6: शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने वाले पारिवारिक शौचालय विहीन परिवारों का प्रतिशत – 2011

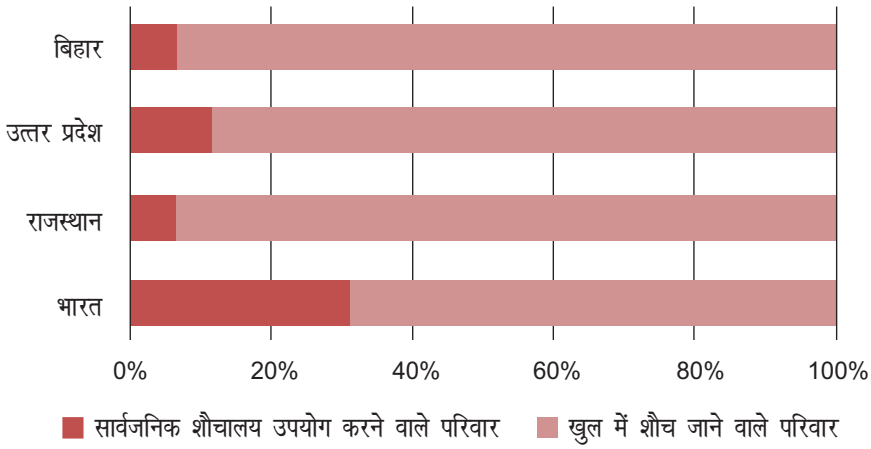

स्रोत: HH-8 विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधा की उपलब्धता के आधार पर परिवारों की संख्या, भारत की जनगणना 2011

ऐसे परिवारों का प्रतिशत, जिनके परिसर के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में बहुत अधिक पाया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, पारिवारिक शौचालय–रहित परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय आंकड़े से कम पाया गया। इन तीनों प्रदेशों में, जिन परिवारों के पास पारिवारिक शौचालय नहीं हैं, उनमें से सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग करने वाले परिवारों का अनुपात राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत कम पाया गया।

आरेख 7: शहरी क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा के प्रकार– 2011

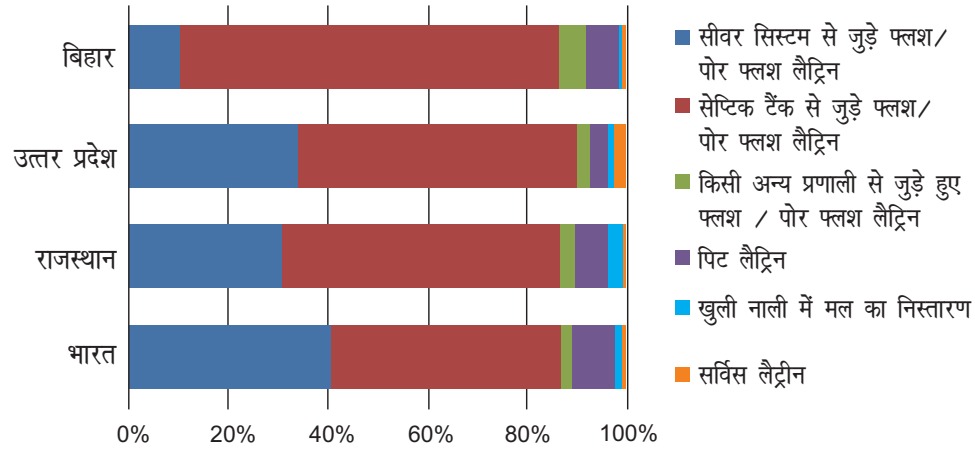

स्रोतः HH-8 विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधा की उपलब्धता के आधार पर परिवारों की संख्या, भारत की जनगणना 2011

शहरी भारत में गैर–सीवरयुक्त पारिवारिक शौचालयों का प्रतिशत लगभग 60% था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, सेप्टिक टैंक पर आश्रित परिवारों का प्रतिशत 56% पाया गया, जबकि बिहार में यह 76% था। पिट लैट्रिन, खुली नाली में निस्तारण और सर्विस लैट्रिन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 7% से 11% तक पाया गया।

2015 में, NSSO ने NSS के 72 वें दौर के साथ–साथ स्वच्छ भारत मिशन पर किये गए रैपिड सर्वे में शहरी क्षेत्रों के शौचालयों को कवर करते हुए स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति को दर्शाया। इस प्रतिदर्श सर्वेक्षण में और पहलू सामने आए जैसेः

- घरेलू शौचालयों में उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता
- खुले में शौच के लिए जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत
- सेनेटरी टॉयलेट[6] वाले परिवारों का प्रतिशत

[6] सेनेटरी टॉयलेट को एक ऐसे शौचालय के रूप में परिभाषित किया गया है जो मल के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करता है और जिसमें मल के अंतिम निपटान के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। स्रोतः [5]

तालिका 2: पारिवारिक शौचालय वाले परिवारों में से उन परिवारों का प्रतिशत जिन्हें पारिवारिक शौचालय में उपयोग के लिए पानी सुलभ है

	जिन परिवारों के पास शौचालय है, उनमें से उन परिवारों का प्रतिशत, जिन्हें निजी पारिवारिक शौचालय में उपयोग के लिए पानी सुलभ है
भारत	99%
राजस्थान	98.9%
उत्तर प्रदेश	99.2%
बिहार	94%

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO(2016), 'स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016'

तालिका 3: खुले में शौच के लिए जाने वाले संबंधित आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत

	वृद्ध (>60 वर्ष)	वयस्क (15–60 वर्ष)		बच्चे (<15 वर्ष)	कुल
		पुरुष	महिला		
भारत	6.5	6.6	6.5	10.1	7.5
राजस्थान	10	8.9	8.5	11.9	9.8
उत्तर प्रदेश	5.9	5.4	5.4	8.5	6.4
बिहार	9.8	12.4	12.3	16.1	13.4

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO (2016), 'स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016'

NSSO के आँकड़े खुले में शौच के लिए जाने वाले अन्य आयु समूहों की तुलना में बच्चों (<15 वर्ष) का प्रतिशत काफी अधिक दर्शाते हैं। लैंगिक आधार पर कोई महत्वपूर्ण भिन्नता प्रतीत नहीं हो रही है।

4.2 तीन शहरों में पारिवारिक शौचालयों की स्थिति

इस भाग का विश्लेषण मुख्य रूप से 2017–18 के दौरान अध्ययन के तीन शहरों में स्वच्छता सेवाओं पर प्रिया के सर्वेक्षणों पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में सुलभता और संस्थागत तंत्र की बारीकियों के साथ शौचालयों की सूक्ष्म–स्तरीय स्थिति को देखने का प्रयास किया गया। औपचारिक इलाकों और अनौपचारिक बस्तियों का अलग–अलग विश्लेषण किया गया है और इन शहरों के सामाजिक–आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों में सुविधाओं की स्थिति पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अजमेर, झाँसी और मुजफ्फरपुर में पारिवारिक शौचालयों की स्थिति पर आँकड़ों के विश्लेषण के प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं।

4.2.1 पारिवारिक शौचालयों का प्रकार और कवरेज

पारिवारिक शौचालयों के द्वारा कवरेजः

आरेख 8: निजी पारिवारिक शौचालय वाले परिवार

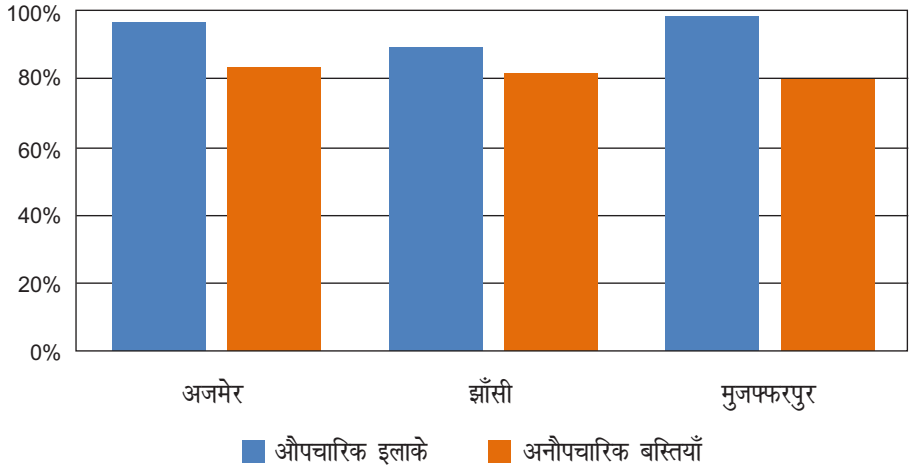

स्रोतः प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भः [6], [7], [8])

इन तीन शहरों में से, मुजफ्फरपुर और अजमेर के औपचारिक इलाकों में निजी पारिवारिक शौचालय वाले परिवारों का उच्चतर प्रतिशत पाया गया। सभी तीन शहरों के औपचारिक इलाकों में निजी पारिवारिक शौचालय वाले परिवारों का अनुपात अधिक हैं। औपचारिक इलाकों और अनौपचारिक बस्तियों के बीच असमानता मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक दिखाई दी।

आरेख 9: अनौपचारिक बस्तियों में साझा शौचालयों और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का उपयोग

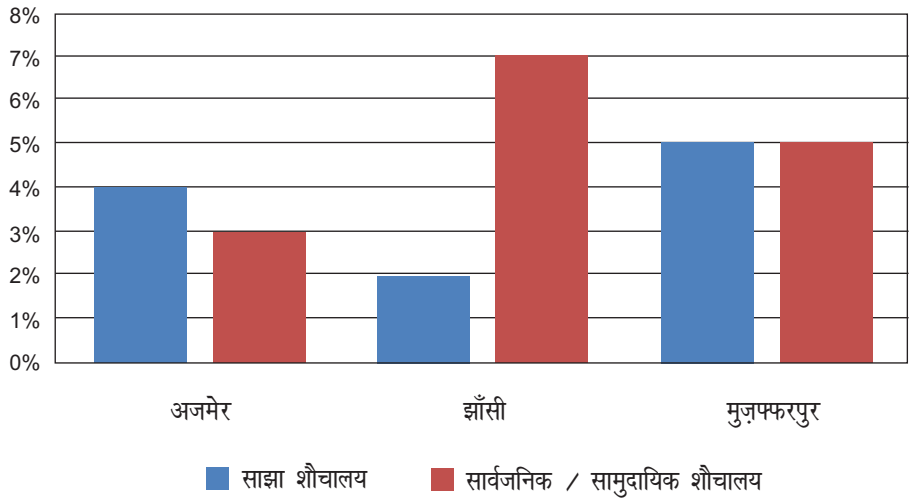

स्रोतः प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भः [6], [7], [8])

इन तीन शहरों की अनौपचारिक बस्तियों में, झाँसी में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने वाले परिवारों का सबसे अधिक हिस्सा है, जबकि यह अजमेर में सबसे कम है। साझा शौचालयों का उपयोग करने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत मुजफ्फरपुर में है।

शौचालयों का प्रकारः इन तीन शहरों में पारिवारिक शौचालय, फ्लशिंग के लिए ज्यादातर पोर–फ्लश (अलग से पानी डालकर फ्लश करना) प्रकार की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। फ्लश वाले शौचालय अजमेर में सबसे अधिक और झांसी में सबसे कम अनुपात में मौजूद हैं। अजमेर और झाँसी की अनौपचारिक बस्तियों में पोर–फ्लश वाले शौचालयों की उपस्थिति काफी अधिक है, जबकि मुज़फ़्फ़रपुर की अनौपचारिक बस्तियों में बिना फ्लश वाले पिट लैट्रिनों की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण यह कम है, जो कन्टेनमेंट प्रणाली के आधार पर शौचालय के प्रकार वाले ग्राफ में स्पष्ट दिख रहा है (आरेख 11)।

आरेख 10: फ्लशिंग के आधार पर पारिवारिक शौचालयों के प्रकार

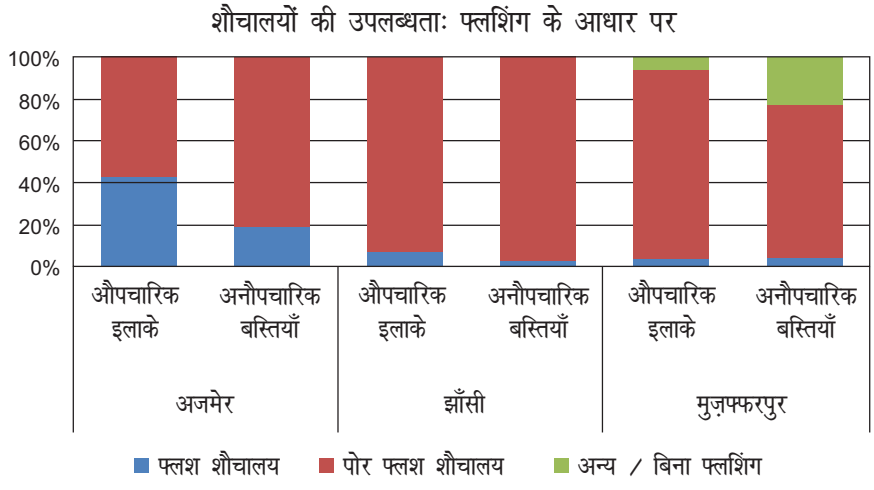

स्रोतः प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भः [6], [7], [8])

आरेख 11: कन्टेनमेंट/निस्तारण/परिवहन प्रणाली के आधार पर पारिवारिक शौचालयों के प्रकार

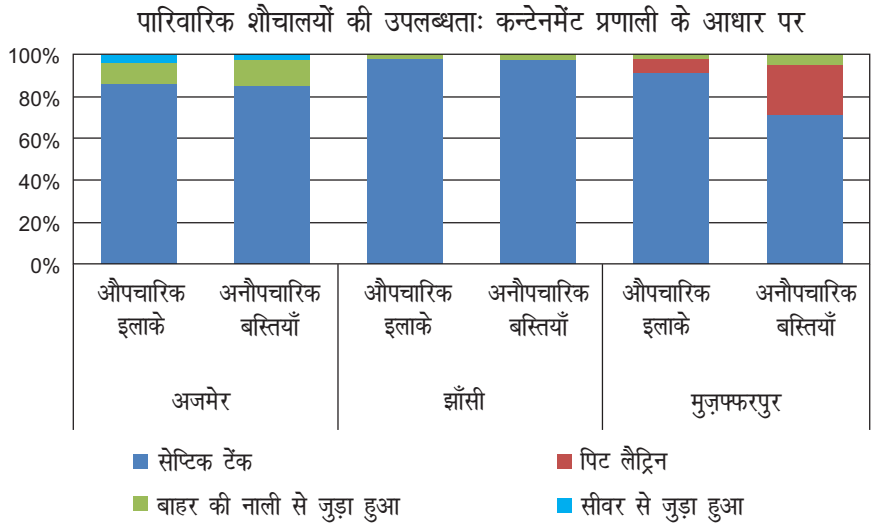

स्रोतः प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भः [6], [7], [8])

पिट लैट्रिन की उपस्थिति केवल मुज़फ़्फ़रपुर में देखी गयी है विशेषकर यहाँ की अनौपचारिक बस्तियों में। अजमेर में, घरों को सीवर सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सर्वेक्षण के समय ऐसे घरों का प्रतिशत बहुत कम था। झाँसी सेप्टिक टैंक पर लगभग पूर्ण निर्भरता प्रदर्शित करता है। झाँसी में मल–गाद प्रशोधन संयंत्र (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट), जो अब चालू हो गया है, द्वारा शहर के सेप्टिक टैंकों के बेहतर रखरखाव और उच्चतर दक्षता को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।

4.2.2 सुलभता के आयाम

आरेख 12: निजी पारिवारिक शौचालय न होने के कारण

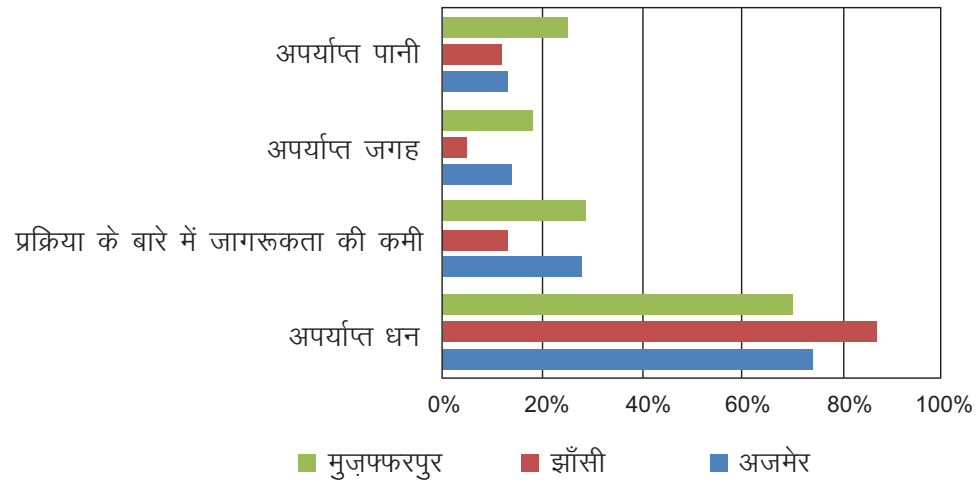

स्रोत: प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भ: [6], [7], [8])

सभी तीन शहरों में पारिवारिक शौचालय नहीं होने का एक प्रमुख कारण आर्थिक संसाधनों की कमी है। इसके अलावा, शहरों में इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी एक और महत्वपूर्ण कारण पाया गया, जिसका पारिवारिक शौचालयों के लिए आवेदन की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए, विवेचन किया गया। यह अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है:

आरेख 13: निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए आवेदन और ULB द्वारा आवेदन की स्वीकृति

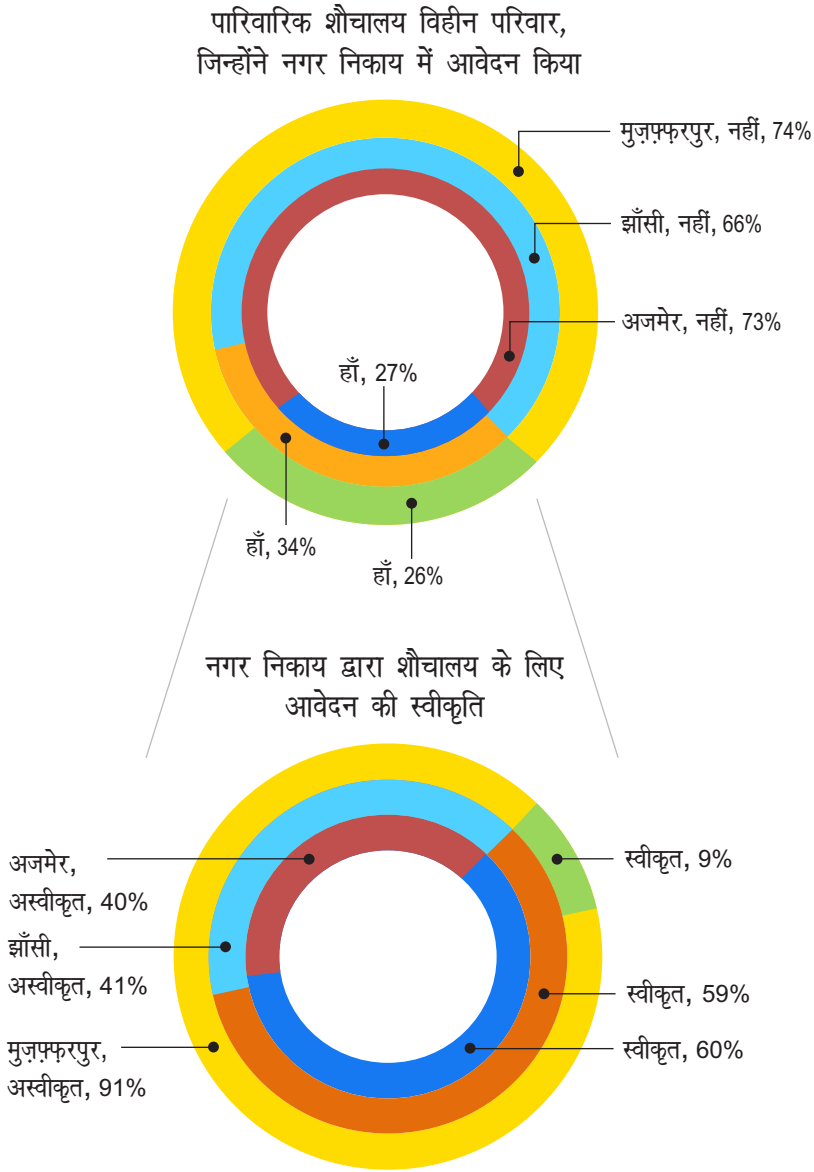

स्रोतः प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भः [6], [7], [8])

जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं, उनमें से उन परिवारों का प्रतिशत, जिन्होंने प्रोत्साहन राशि के लिए स्थानीय निकाय में आवेदन किया, झाँसी में सर्वाधिक पाया गया लेकिन यह 34% तक सीमित था। अजमेर और मुजफ्फरपुर में केवल 26–27% परिवारों ने प्रोत्साहन अनुदान के लिए आवेदन किया। इसके अलावा, यह सामने आया कि प्रोत्साहन अनुदान के लिए आवेदन वाले परिवारों में से, 40–91% परिवारों के आवेदन अस्वीकृत हो गए। अस्वीकृति दर अजमेर में सबसे कम और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक थी। आगामी खंड जो IHHL के प्रावधान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, इन शहरों में ऐसी स्थिति के पीछे कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है।

4.2.3 निजी पारिवारिक शौचालयों के प्रावधान के लिए योजना और कार्यान्वयन तंत्र

नीचे तीन शहरों में निजी पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 4: तीन शहरों में निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

कार्यान्वयन के पहलू	अजमेर	झाँसी	मुजफ्फरपुर
लाभार्थियों की पहचान	मोटे तौर पर पार्षदों / स्वच्छता कर्मचारियों की जानकारी के आधार पर	मोटे तौर पर पार्षदों / स्वच्छता कर्मचारियों की जानकारी के आधार पर	2016 में 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत किए गए सभी परिवारों का एक सर्वेक्षण। इसी डेटा बेस का उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया गया
आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन और जागरूकता सृजन	पार्षदों/स्वच्छता कर्मचारियों और अन्य अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से		
आवेदन पत्र दाखिल करने में सहायता	ULB की ओर से कोई औपचारिक प्रणाली नहीं		
अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना	ULB से पत्रों के रूप में		
लाभार्थियों का एक डिजिटल और जिओ–डेटाबेस बनाए रखना	लाभार्थियों की कोई जियो टैगिंग नहीं		
शिकायतों को संभालना	ULB के कार्यालय जाकर या पार्षद के माध्यम से		

स्रोत: तीनों शहरों में स्थित प्रिया की टीमों की प्रतिक्रिया के आधार पर संकलित

यह उपरोक्त तालिका से समझा जा सकता है कि सर्वेक्षण के तीनों शहरों में स्थानीय निकायों को मजबूत कार्यान्वयन तंत्र की अनुपस्थिति में निजी पारिवारिक शौचालयों को कार्यान्वित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तीन शहरों में निजी पारिवारिक शौचालय घटक के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियों को दूर करने में ECRC कार्यक्रम के तहत किये गए प्रिया के प्रयासों के योगदान का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5: SBM (शहरी) के तहत IHHL को लागू करने में ECRC कार्यक्रम के माध्यम से प्रिया के प्रयासों की भूमिका

कार्यान्वयन के पहलू	ECRC कार्यक्रम के माध्यम से प्रिया के प्रयासों ने SBM (शहरी) के तहत IHHL को लागू करने में कैसे मदद की
लाभार्थियों की पहचान	शहर के सभी बस्तियों में किए गए PSE सर्वेक्षण ने निजी पारिवारिक शौचालयों पर प्रामाणिक और अद्यतन आँकड़े उत्पन्न किये। इस तरह के सुगम आँकड़ों ने, जिन्हें नागरिकों द्वारा प्रिया के सहयोग से स्वयं एकत्र किया था, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए तीनों शहरों में शहरी निकायों की मदद की
आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन और जागरूकता सृजन	प्रत्येक बस्ती में SIC (ECRC प्रोग्राम के तहत प्रिया द्वारा गठित) नामक नागरिक समूहों ने बस्ती के प्रत्येक परिवार को कार्यक्रम के बारे में सूचित किया
आवेदन पत्र दाखिल करने में सहायता	SICs जिनका क्षमता वर्धन प्रिया की फील्ड टीम ने किया था, ने परिवारों को आवेदन करने में सहयोग किया
अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना	जिन परिवारों ने IHHL के लिए आवेदन किया था, उन्हें वार्ड पार्षदों या संबंधित नगरपालिका अधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया
शिकायतों को संभालना	प्रिया टीम और SIC ने अनौपचारिक बस्तियों के नागरिकों को विशेष रूप से वार्ड पार्षदों के माध्यम से ULB अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया

स्रोत: तीनों शहरों में स्थित प्रिया की टीमों की प्रतिक्रिया के आधार पर संकलित

4.2.4 शौचालयों के कन्टेनमेंट प्रणाली (टैंक) के रख–रखाव की स्थिति

आरेख 14: उन परिवारों का प्रतिशत जिनके सेप्टिक टैंक कभी खाली नहीं किये गए

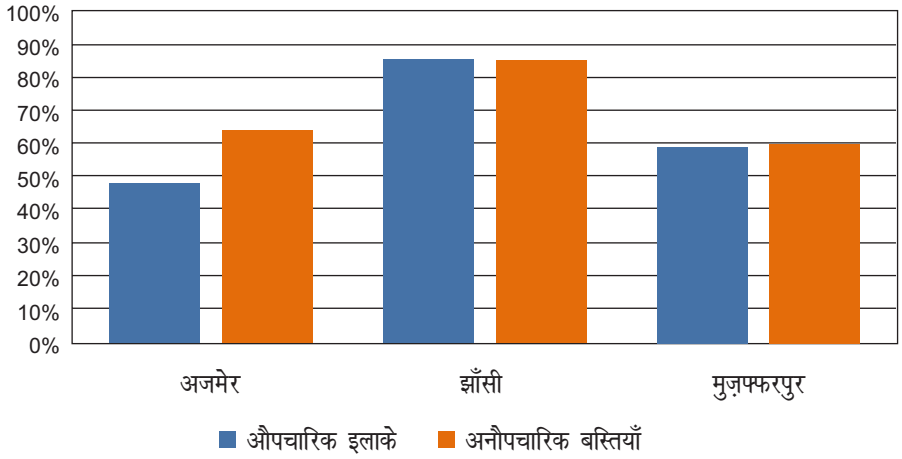

स्रोत: प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भ: [6], [7], [8])

शौचालय टैंकों को नियमित रूप से खाली करने के द्वारा इनका रख–रखाव करने की स्थिति इस तीनों शहरों में अच्छी नहीं है। आंकड़ों से यह पता चला है कि इन शहरों में अधिकांश सेप्टिक टैंक कभी खाली नहीं किये गए। झाँसी में, सेप्टिक टैंक को कभी न खाली कराने वाले परिवारों का प्रतिशत 80% से अधिक

पाया गया। इस पहलू पर औपचारिक इलाकों और अनौपचारिक बस्तियों के बीच अंतर अजमेर में अधिक पाया गया।

आरेख 15: उन परिवारों का प्रतिशत जिनके सेप्टिक टैंक को हस्तचालित तरीकों का प्रयोग करके खाली किया गया

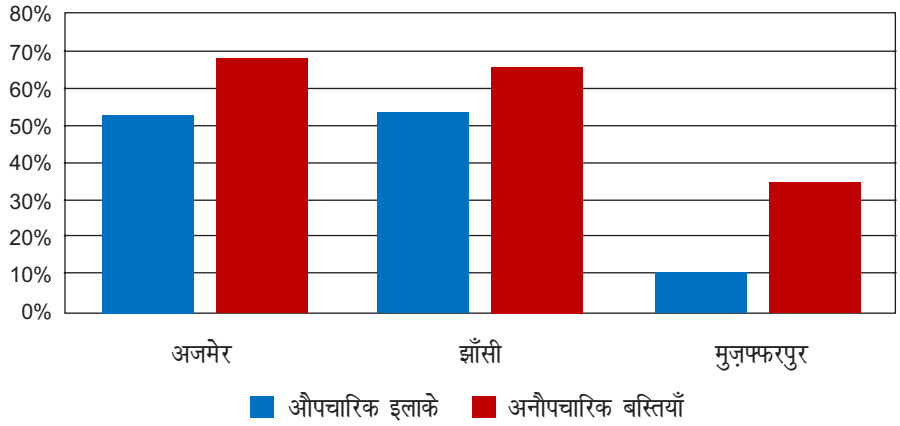

स्रोत: प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण (सन्दर्भ: [6], [7], [8])

सेप्टिक टैंक को खाली करने से संबंधित एक अन्य पहलू, हस्तचालित तरीकों के उपयोग का इन शहरों के लिए विश्लेषण किया गया। यह ध्यान देने योग्य था, कि किसी न किसी रूप में हस्तचालित तरीके अजमेर और झाँसी में आधे से अधिक परिवारों द्वारा उपयोग किए गए थे। औपचारिक इलाकों की तुलना में अनौपचारिक बस्तियों में हस्तचालित तरीकों का प्रयोग करने के दृष्टांत काफी अधिक थे। यह निष्कर्ष मुद्दों के बहुआयामी स्वरूप की ओर इशारा करता है जैसे कि वित्तीय सामर्थ्य, सुविधाओं की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी।

4.3 शहरों से अच्छे प्रयासों और बदलाव की कहानियाँ

बॉक्स 1: अजमेर में निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए समृद्ध व्यक्तियों से वित्तीय संसाधनों का संयोजन

वार्ड नंबर 51 में स्थित एक अधिसूचित बस्ती राजेंद्रपुरा कॉलोनी के कुछ निवासियों को धन की कमी के कारण पारिवारिक शौचालय के निर्माण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वे SBM (शहरी) के माध्यम से प्राप्त प्रोत्साहन राशि के वावजूद भी, अपने स्वयं के शौचालय का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। जब इन घरों का मुद्दा वार्ड पार्षद श्री अनिल मोयले के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसके निमित्त शहर के संपन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की। परोपकार में रुचि रखने वाले इन व्यक्तियों में से कुछ व्यापारी, होटल व्यवसायी आदि शामिल थे। परिणाम स्वरूप, जरूरतमंद घरों के 25 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की गई और उन्हें उपलब्ध करा दिया गया।

स्रोत: प्रिया की अजमेर टीम द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संकलित

5. सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति

5.1 तीन राज्यों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता की स्थिति

सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर 2015 में NSSO के प्रतिदर्श सर्वेक्षण से निकले कुछ तथ्य नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

आरेख 16: सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय वाले वार्डों का प्रतिशत

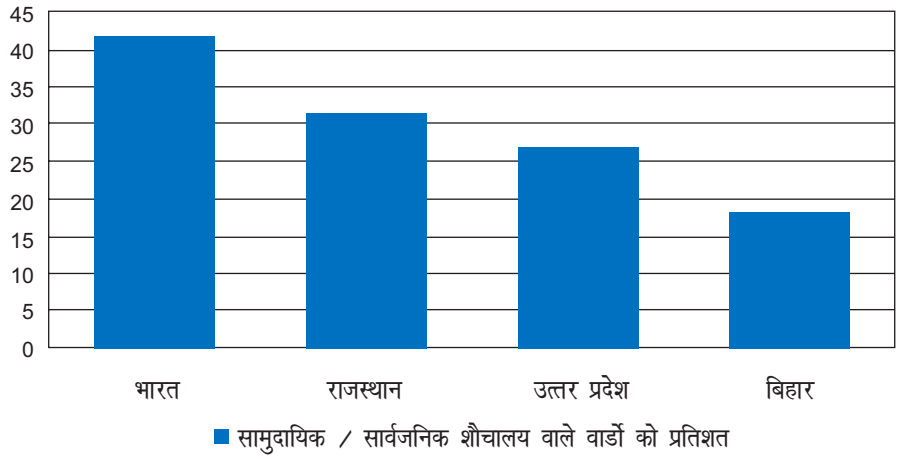

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO (2016), 'स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016'

तालिका 6: सेनेटरी शौचालय विहीन परिवारों में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं

	वृद्ध (>60 वर्ष)	वयस्क (15–60 वर्ष)		बच्चे (<15 वर्ष)	कुल
		पुरुष	महिला		
भारत	44.3	48.6	47.9	42.0	46.0
राजस्थान	14.2	5.0	8.2	5.4	6.7
उत्तर प्रदेश	69.2	76.5	75.5	71.8	74.0
बिहार	7.7	2.6	2.7	3.0	3.2

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO (2016), 'स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016'

NSSO के उपरोक्त आंकड़े सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता में स्पष्ट कमी और इसके उपयोग पर कुछ जनसांख्यिकी सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य दर्शाते हैं। बिहार में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के माध्यम से कवर किए गए वार्ड अन्य दो राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में बहुत कम हैं। पारिवारिक

शौचालय विहीन परिवारों का काफी कम प्रतिशत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करता है, जो कि राष्ट्रीय औसत 46% के मुकाबले सिर्फ 3.2% है, इसी तथ्य का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के 74% के साथ काफी अच्छा स्कोर किया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं (वयस्क) द्वारा सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग उत्तर प्रदेश और भारत में कम है, लेकिन यह राजस्थान और बिहार से अधिक है।

5.2 तीन शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति

5.2.1 कवरेज

आरेख 17: सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय सुविधा वाले वार्डों का प्रतिशत

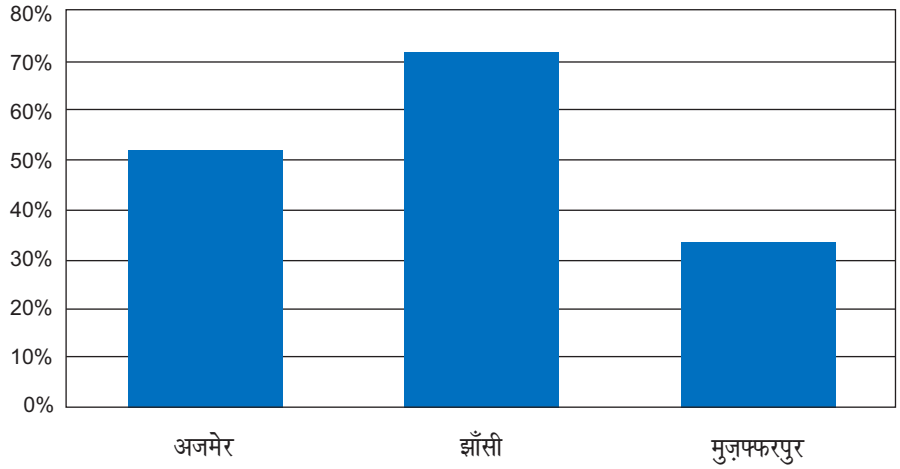

स्रोत: प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017–18 व सम्बंधित शहरों के नगर निगम

नगर निकाय वार्डों के कवरेज के संदर्भ में, झाँसी तीन अध्ययन शहरों में अग्रणी शहर है। अजमेर में लगभग आधे वार्डों में कम से कम एक सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय है। 2017–18 में कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जो कि NSSO के 2015 के सर्वेक्षण में प्रदर्शित राज्य–स्तरीय कवरेज से ऊपर है। इसका श्रेय 2015 के बाद SBM (शहरी) के तहत सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के तेजी से निर्माण को दिया जा सकता है।

एक अन्य विश्लेषण चालू हालत वाले सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों से कवरेज की तुलना प्रति 1 लाख जनसंख्या[7] पर करता है।

[7] 2011 की जनगणना के अनुसार

आरेख 18: प्रति 1 लाख जनसंख्या पर चालू हालत वाले सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की संख्या

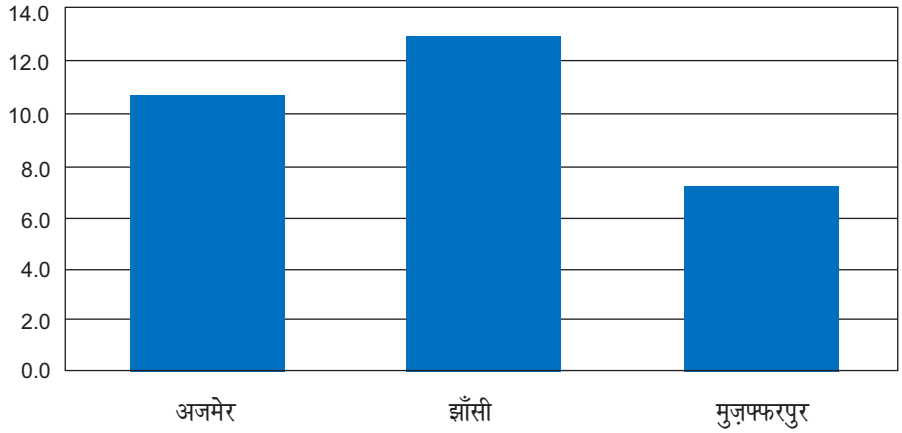

स्रोत: प्रिया द्वारा 3 शहरों में प्राथमिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017–18 व सम्बंधित शहरों के नगर निगम

अध्ययन के तहत तीन शहरों में, झाँसी में प्रति 1 लाख शहरी आबादी पर सबसे अधिक चालू हालत वाले सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में सबसे कम है। शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की उच्च संख्या (घनत्व) को उनके ODF स्टेटस से जोड़कर देखा जा सकता था।

5.2.2 सुलभता के आयाम

महिलाओं के लिए सुलभता: इन तीन शहरों के सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के आंकड़े महिलाओं के लिए सुविधाओं की भारी कमी को दर्शाते हैं। प्रिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, मुजफ्फरपुर में 42% सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं नहीं हैं। अजमेर में अलग से बने हुए पेशाबघरों (यूरिनलों) में से केवल 18% में और झाँसी में 21% में महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन शहरों में अन्य मूत्रालय केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं। हालाँकि, झाँसी और अजमेर में पिंक टॉयलेट्स (केवल महिलाओं के लिए) का निर्माण सही दिशा में एक कदम है, लेकिन शहरों में कई सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का प्रतिशत इन तीन शहरों में बहुत कम है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय अजमेर, झाँसी और मुज़फ़्फ़रपुर में क्रमशः 3%, 6% और 4% हैं।

5.2.3 योजना और कार्यान्वयन तंत्र

आवश्यकता की पहचान/जरूरतों को समझना और नए शौचालयों को प्रस्तावित करने के लिए तीन शहरों में अलग–अलग प्रणाली है। सामुदायिक शौचालयों के लिए, मुजफ्फरपुर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, कोई विशेष दिशानिर्देश नहीं पाए गए। बिहार के दिशा–निर्देशों में प्रत्येक दो मंजिला शौचालय ब्लॉक के निर्माण का प्रावधान, 12 परिवारों

को लक्षित कर किया गया है। प्रत्येक शौचालय सीट समुदाय के एक परिवार को आवंटित की जाएगी। शौचालय ब्लॉक का रखरखाव समुदाय द्वारा करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस तरह की व्यवस्था पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण बताता है कि यह कई अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए, जो शौचालय की सीटों के आवंटी नहीं हैं, इन सुविधाओं की अनुपलब्धता का कारण बन सकता है, और सार्वजनिक सुविधा के सार्वभौमिक पहुंच के उद्देश्य को अधूरा कर सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का कार्यान्वयन, नगर निकाय के स्वच्छता कर्मचारियों या पार्षदों से सुविधा की आवश्यकता पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किया जा रहा है। ULB द्वारा पहचाने गए भू–खंड जिला राजस्व अधिकारियों को भेजे जाते हैं और अनापत्ति प्राप्त करने के बाद निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

5.3 शहरों से अच्छे प्रयासों और बदलाव की कहानियां

बॉक्स 2: मुजफ्फरपुर में सामुदायिक शौचालय में सुधार के लिए समुदाय की पहल

मुजफ्फरपुर में सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव की खराब स्थिति को देखते हुए, बस्ती विकास समिति के नेतृत्व में वार्ड 20 में स्थित एक अनौपचारिक बस्ती मेस्तर टोला के निवासियों ने सामुदायिक शौचालय के नवीनीकरण और उसका रख–रखाव करने की पहल की। नवीकरण के लिए आवश्यक लगभग ₹11,000 की राशि समुदाय के लगभग 67 परिवारों क योगदान के द्वारा जोड़ी गयी। वार्ड 20 के पार्षद और पड़ोसी वार्ड से भी कुछ वित्तीय सहायता आई। निर्माण कार्य में समुदाय के लगभग आठ सदस्यों ने भी अपने श्रम के माध्यम से योगदान दिया। समुदाय ने, स्वयं द्वारा प्रबंधित प्रणाली के माध्यम से भुगतान और उपयोग की एक प्रणाली विकसित की। पुनर्निर्मित शौचालय नवंबर 2018 में चालू हो गया।

स्रोतः प्रिया की मुजफ्फरपुर टीम द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संकलित

बॉक्स 3: झाँसी में पिंक टॉयलेट

झाँसी स्मार्ट सिटी बी.के.डी. चौराहा, सीपरी, सदर बाजार आदि सात स्थानों पर केवल महिलाओं के शौचालय बनाने की तैयारी में है। इनमें से चार शौचालय ब्लॉक में पहले से ही निर्माणाधीन हैं। ये शौचालय सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, बच्चों की देखभाल सुविधाओं, डायपर वेंडिंग मशीन और पीने के पानी सुविधा से सुसज्जित हैं। इन शौचालयों में संग्रह और प्रशोधन टैंक के रूप में बायो–डाइजेस्टर लगे हुए हैं। इन्हें सौर ऊर्जा के उपयोग से चलने और विज्ञापन के लिए पैनलों से युक्त होने की उम्मीद है। पहले पिंक टॉयलेट का उद्घाटन इस साल अप्रैल में होने की आशा है। पिंक टॉयलेट द्वारा शहर में महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं, जो पहले से ही कम हैं, की उपलब्धता बढ़ाये जाने की उम्मीद है।

स्रोतः प्रिया की झाँसी टीम द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संकलित

6. शौचालय डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में नवाचार

शौचालय से सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने की उभरती हुई आवश्यकता के साथ, देश के विभिन्न कोनों से कई नए विचार सामने आए हैं।

6.1 शौचालयों पर केस स्टडीः योजना और तकनीकी परिप्रेक्ष्य

हाल के वर्षों में कुछ प्रमुख नवाचारों की चर्चा नीचे दी गई है

- शौचालय की कंटेनमेंट प्रणाली (टैंक) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अप्रशोधित मानव अपशिष्ट के प्रभाव को नियंत्रित करती है। 'बायो–डाइजेस्टर' एक प्रमुख नवाचार है जिसमें मल अपशिष्ट के प्रबंधन की पूरी श्रृंखला को बदलने की क्षमता है। बायो–डाइजेस्टर DRDO द्वारा विकसित एक तकनीक है जो मल अपशिष्ट को जैव गैस और पानी में परिवर्तित कर देती है।
- टाइगर टॉयलेट जिसे BMGF की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया है, 'वर्मीफिल्ट्रेशन' के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेष कंपोस्टिंग केंचुये और जल निकासी परत का उपयोग करता है ताकि मल अपशिष्ट का तेजी से अपघटन किया जा सके [9]।
- नम्मा टॉयलेट सार्वजनिक शौचालयों के लिए एक मॉडल है जिसे गैर–पारंपरिक निर्माण सामग्रियों, जिन्हें लगाना और देखरेख करना आसान है, का प्रयोग करके विकसित किया गया है [10]।
- दिल्ली नगर कला आयोग (DUAC) ने 'स्मार्ट शौचालय' का एक दूसरा प्रोटोटाइप विकसित किया है [11]।

6.2 शौचालयों पर केस स्टडीः प्रबंधन और संचालन–प्रणाली परिप्रेक्ष्य

6.2.1 समुदाय द्वारा संचालन और रखरखाव पर आधारित केस

- सन 2000 में, ग्रामालय नामक एक NGO ने वाटर एड के सहयोग से तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा। पहल का उद्देश्य शौचालय ब्लॉक के रखरखाव में सुधार लाना और समुदाय के बीच स्वच्छता पर जागरूकता फैलाना था। भुगतान और उपयोग प्रक्रिया के लिए एक टोकन प्रणाली को अपनाया गया। तिरुचिरापल्ली सिटी कॉरपोरेशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को शहर के आधे सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप दी [12]।
- NGO आरम्भ ने 2005 में भोपाल नगर निगम, वाटर ऐड और संयुक्त राष्ट्र–पर्यावास के सहयोग से भोपाल (मध्य प्रदेश, भारत) की अनौपचारिक बस्तियों में एक पहल की। इस अभियान के माध्यम से पहल ने महिलाओं और बच्चों को लक्ष्य बनाया। इस पहल ने 2,600 व्यक्तिगत शौचालय और दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण को सुगम बनाया, जिससे 11 मलिन बस्तियों को ओ.डी.एफ. घोषित किया जा सका [13]।

6.2.2 अन्य मॉडल

- Ti – टॉयलेट इंटीग्रेशन पुरानी बसों के नवीनीकरण के माध्यम से विकसित किया गया महिलाओं के लिए एक मोबाइल शौचालय है। प्रायोगिक पहल के तहत, पुणे के उच्च फुटफॉल क्षेत्रों में पांच Ti बसें तैनात की गई हैं [14]।

7. निष्कर्ष और आगे का रास्ता

अध्ययन के निष्कर्षों का उल्लेख नीचे दिए गए शीर्षकों के तहत किया गया है:

शौचालय निर्माण में SBM (शहरी) की भूमिका

2014 में शुरू की गई SBM (शहरी) शौचालयों पर विशेष ध्यान देने वाली अपनी तरह की पहली केंद्र प्रायोजित योजना थी। देश भर में बड़े पैमाने पर शौचालय सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें हाल के 1–2 वर्षों में तेज गति देखी गई। हालांकि, आगे बढ़ते हुए, निर्मित बुनियादी ढांचे को क्रियाशील बनाए रखने और एकीकृत सेप्टेज प्रबंधन से पूर्ण कवरेज प्राप्त करने पर जोर देना आवश्यक है।

IHHL के लिए लक्ष्यीकरण सिद्धांत और पात्रता

SBM (शहरी) के तहत लक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित करना जिसमें 'खुले में शौच वाले 80% घरों को और एक–पिट वाले लैट्रिन/अनुपयुक्त शौचालयों वाले सभी घरों' [1] को लक्ष्य बनाया गया है, कुछ पात्र लाभार्थियों, जिनके पास शौचालय नहीं है, के छूट जाने का कारण बन सकती है। ODF घोषित शहरों में, उन परिवारों के मुद्दे पर, जिनके पास अभी भी निजी पारिवारिक शौचालय नहीं हैं, ध्यान देने का तरीका राज्य और केंद्र स्तर पर प्रोग्राम स्तरीय संशोधन के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।

IHHL के लिए प्रोत्साहन राशि

तीन शहरों में किए गए अध्ययन से पता चला है कि वित्त की कमी निजी पारिवारिक शौचालय नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है (इस पेपर का बिंदु 4.2.2 देखें)। CEPT यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में प्रदान की गयी प्रोत्साहन राशि (₹12,000) शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने की कुल लागत का लगभग 30% है [15]। अधिकांश अन्य राज्यों में कुछ ऐसी ही स्थिति है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि को या तो बढ़ाया जाना चाहिए या धन राशि में अंतर की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम के डिजाइन में उपयुक्त तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्वैक्षिक संसाधनों की पूलिंग, ऋण का प्रावधान, राज्य/ULB के योगदान को बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रावधान आदि इस अंतराल की पूर्ति करने के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं।

SBM (शहरी) के तहत निजी पारिवारिक शौचालय घटक के लिए कार्यान्वयन तंत्र

निजी पारिवारिक शौचालय सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के शौचालय हैं, क्योंकि खुले में शौच को खत्म करने में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका है। SBM (शहरी) के तहत IHHL के कार्यान्वयन संबंधित मुख्य आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों का, प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने वाले परिवारों के निम्न अनुपात और आवेदन अस्वीकृति के उदाहरणों की बहुलता की तरफ इंगित करना, कार्यान्वयन तंत्र को पूर्णतया पुर्नव्यवस्थित करने की मांग करता है। निजी पारिवारिक शौचालय घटक को सफल बनाने के लिए, एक मजबूत नागरिक केंद्रित तंत्र की आवश्यकता है। इस तरह की प्रणाली की बुनियाद, एक निम्न–आय वाले परिवारों का आंकड़ा कोष होना चाहिए जो सहभागी आँकलन पद्धति से तैयार किया गया हो जिसमें घरों की जियो–टैगिंग भी की गई हो। घरों की जियो–टैगिंग द्विरावृत्ति त्रुटियों से बचने और सर्वसमावेशी भू–स्थानिक परिवेश में आंकड़ा कोष को

बनाए रखने में मदद करेगी। एक व्यापक ढांचा, जिसे आगे बढ़ते हुए सहभागी और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण के साथ व्यक्तिगत शौचालयों से पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जा सकता है, निम्नवत है:

PSE के माध्यम से कम आय वाली बस्तियों में शौचालयों की उपलब्धता और प्रकार से सम्बंधित आँकड़ों का एक जियो–टैग किया हुआ आँकड़ा कोष बनाना → बिना शौचालय वाले परिवार, जिनके पास भूमि है, और अनुपयुक्त कन्टेनमेंट (टैंक) वाले परिवारों की पहचान करना → शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए पंजीकरण और उसी समय आवेदन पत्र भरना → नियमित निगरानी, शौचालय निर्माण का सत्यापन और निर्माण के बाद नियतकालिक डी–स्लजिंग (टैंक को खाली करना) के लिए पंजीकरण

सुलभता के पहलू

सामुदायिक शौचालयों के मामले में, यह देखा गया कि प्रत्येक परिवार को एक समर्पित टॉयलेट सीट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण के साथ, कुछ सुविधायें अप्रयुक्त छूटी रह सकती हैं और कई अन्य जरूरतमंद उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्धता का कारण बन सकती हैं। सार्वजनिक शौचालयों के मामले में, अध्ययन वाले शहरों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुविधाओं की काफी कमी है। अधिकांश सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं हैं।

अनौपचारिक बस्तियों और औपचारिक इलाकों में स्वच्छता सुविधाओं में असमानता

इन तीन शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षणों में कुछ अपवादों को छोड़कर अनौपचारिक बस्तियों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर का पता चला। अनौपचारिक बस्तियों और औपचारिक इलाकों में फ्लश शौचालयों की उपलब्धता, पिट लैट्रिन की व्यापकता, सीवर कनेक्शनों की उपलब्धता और सेप्टिक टैंकों की सफाई में हस्तचालित तरीकों के उपयोग की तुलना, स्वच्छता सुविधाओं और तरीकों की स्थिति में महत्वपूर्ण असमानता को दर्शाती है। अनौपचारिक बस्तियों को अपने विशिष्ट मुद्दों के समाधान और शहर के नेटवर्क में एकीकरण के लिए स्वच्छता योजना की आवश्यकता है।

शौचालयों की सुलभता में सुधार के लिए शहरी गरीब समुदायों को संगठित करना

यह अक्सर देखा गया है कि अनौपचारिक बस्तियों में स्वच्छता की खराब स्थिति का एक कारण शहरी गरीबों का असंगठित होना है। संगठित होने से अनौपचारिक बस्तियों के नागरिकों को शहरी निकाय के औपचारिक सेवा वितरण चैनलों से जोड़ने और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के लिए स्वयं के कार्यों को शुरू करने में मदद मिलती है। ECRC कार्यक्रम के तहत प्रिया के प्रयासों ने तीन शहरों में मुख्य रूप से महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले बस्ती विकास समिति (SIC) नामक समूहों को बनाने के लिए 3,210 से अधिक व्यक्तियों को संगठित किया है। विगत वर्षों में, इन तीन शहरों की अनौपचारिक बस्तियों में जहां भी बस्ती विकास समितियां सक्रिय हैं, महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। इन शहरों में व्यक्तिगत शौचालयों को उपलब्ध कराने और सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों को बेहतर बनाने में SICs ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए योजना

सर्वेक्षण के तहत तीन शहरों में सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या व्यापक रूप से अपर्याप्त पायी गयी। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान में काफी कमी है। यह नए सार्वजनिक शौचालयों का तत्काल निर्माण करने और मौजूदा शौचालयों को सभी उपयोगकर्ता समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। सामुदायिक शौचालयों के प्रावधान का मौजूदा तरीका मुख्य रूप से प्रत्येक अनौपचारिक बस्ती के लिए एक सामुदायिक शौचालय प्रदान (स्थित) करने पर आधारित है। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए भौगोलिक विश्लेषण पर आधारित योजना की कमी है। एक सहभागी दृष्टिकोण वाली शहर–व्यापी नियोजन की क्रिया – प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से पूर्ण भौगोलिक कवरेज प्राप्त करने के लिए, भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का रख–रखाव

इन तीन शहरों में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग देना, समुदायों को उन सामुदायिक शौचालयों, जिन्हें वे नियमित प्रयोग करते हैं, का संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेने वाले की ओर अग्रसर कर सकता है। शहरी निकाय के स्तर पर एक व्यवस्थित पहल से इस तरह की परिपाटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विशिष्ट आयु समूहों को लक्ष्य करने के लिए जागरूकता

NSSO के सर्वेक्षण में पाया गया कि खुले में शौच के लिए जाने वाले व्यक्तियों का सबसे अधिक प्रतिशत सभी आयु समूहों में से, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। यह स्कूलों और बच्चों के साथ विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए जुड़ाव की आवश्यकता को दर्शाता है जो व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित हो।

राजमिस्त्री और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण

यह शहरों में नागरिक मंचों से उभरा है कि शौचालय के कन्टेनमेंट (टैंक) की प्रशोधन में भूमिका को आम तौर पर सामान्य नागरिक द्वारा नहीं समझा जाता है। शौचालयों के कन्टेनमेंट (टैंक) का आकार और संरचना पर निर्णय आमतौर पर राजमिस्त्री या ठेकेदार की सलाह पर किया जाता है। इसलिए, शहर को उपयुक्त शौचालयों से युक्त बनाने के लिए, शौचालय के निर्माण में लगे व्यक्तियों या संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे हितधारकों को सही और गलत कन्टेनमेंट प्रणालियों और अनुचित कन्टेनमेंट प्रणालियों के प्रतिकूल प्रभावों की समझ से लैस के लिए उनका क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। वारंगल उन शहरों में एक है जो इस दिशा में कदम उठा रहे हैं [16]।

पानी की उपलब्धता

शौचालय के संचालन के लिए पानी एक आवश्यक तत्त्व है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्रमशः लगभग 1%, 2% और 6% पारिवारिक शौचालयों में उपयोग के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। जबकि शहर स्तर पर, यह पाया गया कि अजमेर, झाँसी और मुजफ्फरपुर में क्रमशः 13%, 12% और 25% परिवार

पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण शौचालय बनाने के इच्छुक नहीं हैं। पर्याप्त पाइप–जलापूर्ति की अनुपलब्धता, झाँसी और मुज़फ़्फ़रपुर में पोर फ्लश शौचालयों के बहुत अधिक प्रचलन (90% से अधिक) के कारणों में से एक हो सकती है। घरेलू और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के सतत् और स्वच्छ उपयोग के लिए, निर्माण की गति के अनुरूप पाइप–जलापूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

शौचालय के कन्टेनमेंट (टैंक) को अनियमित रूप से खाली करना टैंक की प्रभावहीनता तथा लोक स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन रहा है

नए शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ, शौचालय के टैंक को नियमित रूप से खाली करना महत्वपूर्ण है ताकि इसकी प्रशोधन दक्षता और बहिःस्राव की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। तीनों शहरों में, यह उभर कर आया कि लगभग 50–85% परिवारों ने अपने शौचालय के टैंक कभी खाली नहीं कराये। जबकि खाली करने के लिए किसी प्रकार के हस्तचालित तरीकों का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 10% से 68% तक बढ़–घट रहा है। हस्तचालित तरीकों के प्रयोग का अधिक प्रचलन अनियमित रूप से खाली कराने से जुड़ा हो सकता है। अनियमित रूप से खाली कराने के कारण होने वाली टैंकों की अक्षमता के परिणाम स्वरूप खुले नालों में मल का प्रवाह होता है जो शहर में लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। नालियों में मल का प्रवाह शहरों के जलाशयों और नदियों में प्रदूषण का कारण भी बनता है।

उचित कन्टेनमेंट प्रणाली और सेप्टेज के सुरक्षित निपटान में नागरिक जुड़ाव की अधिक भूमिका को मान्यता देना

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक शौचालय का उपयोग करने और शौचालय के उपयोग से उत्पन्न सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के महत्व को समझें। सभी शौचालय केंद्रित कार्यक्रमों की वास्तविक लोकप्रियता नागरिकों के बीच अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में उचित सेप्टेज निपटान की भूमिका की समझ में निहित है। पर्यावरण के महत्व और स्वास्थ्य से इसके संबंध का एक बुनियादी बोध इस तरह की समझ का आधार है। इसलिए उचित कन्टेनमेंट प्रणाली और सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के लिए प्रभावी नागरिक जुड़ाव पर नीतिगत और व्यावहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

8. संदर्भ

[1] आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (2017), 'गाइड लाइन्स फॉर स्वच्छ भारत मिशन – अर्बन'

[2] आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (2014), 'डिक्लेरिंग योर सिटी/टाउन ODF: अ रेडी रेकनर'

[3] आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, 'डिक्लेयरिंग योर सिटी/टाउन SBM ODF+ एंड SBM ODF++: टूलकिट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज'

[4] आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (2019), 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019' रिपोर्ट

[5] राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO (2016), 'स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016'

[6] प्रिया (2018), 'सभी के लिए स्वच्छताः अजमेर, राजस्थान में स्वच्छता सेवाओं का आँकलन'

[7] प्रिया (2018), 'सभी के लिए स्वच्छताः झाँसी, उत्तर प्रदेश में स्वच्छता सेवाओं का आँकलन'

[8] प्रिया (2018), 'सभी के लिए स्वच्छताः मुजफ्फरपुर, बिहार में स्वच्छता सेवाओं का आँकलन'

[9] https://www.primoveindia.com/Tiger%20Toilet%20Broucher.pdf

[10 अरबेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 'नम्मा टॉयलेटः अ हाई क्वालिटी टॉयलेट सोलूशन', अरबेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई

[11] DUAC स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट, http://duac.org/site_content/attachments/English-Smart%20Toilet.pdf पर उपलब्ध

[12] बेदोश्रुति एस, ऋतु टी एंड सौम्या सी (2012), तिरुचिरापल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन, तमिलनाडु, 'कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन कम्प्लेक्सेस', ACCES सैनिटेशन

[13] वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम (2016), 'कम्युनिटी स्लम सैनिटेशन इन इंडियाः अ प्रैक्टिसनर्स गाइड'

[14] https://forum.susana.org/india/20999-ti-toilet-integration-bus-toilet-for-women-pune-maharashtra-india

[15] PAS प्रोजेक्ट CEPT यूनिवर्सिटी (2016), 'एक्सेसिंग क्रेडिट ऑप्शंस फॉर हाउसहोल्ड सैनिटेशन इन अर्बन एरियाज'

[16] एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया, 'ऑपेरशनलाइजिंग FSM रेगुलेशंस ऐट सिटी लेवलः अ केस स्टडी ऑफ़ वारंगल सिटी'

Note :

इस स्टेटस पेपर का प्रकाशन यूरोपियन यूनियन समर्थित और प्रिया द्वारा कार्यान्वित 'सक्रिय नागरिक, क्रियाशील शहर' कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। 'सक्रिय नागरिक, क्रियाशील शहर' भारत के तीन शहरों - अजमेर (राजस्थान), झाँसी (उत्तर प्रदेश) और मुज़फ्फरपुर (बिहार) में स्वच्छता सेवाओं के नियोजन एवं निगरानी में सार्थक रूप से भाग लेने एवं उसे प्रभावित करने के लिए शहरी गरीबों के नागर समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रिया की एक पहल है।

©2019 PRIA विषय वस्तु का गैर वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते प्रिया को श्रेय दिया जाँए। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में उल्लेखित अतिरिक्त उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए कृपया library@pria.org पर प्रिया पुस्तकालय से संपर्क करें।

यह कार्यक्रम प्रिया द्वारा क्रियान्वित है

ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

यह कार्यक्रम यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रयोजित है

यूरोपियन यूनियन

पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया
42, तुग़लकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110062
फोनः +91-011-29960931/32/33
वेबः www.pria.org

डिसक्लेमर

यह रिपोर्ट विभिन्न माध्यमिक और प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा की मदद से तैयार की गई है। हालांकि प्रिया ने इस रिपोर्ट में निहित डेटा और सूचना की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किये हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की सामग्री के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम की सटीकता के लिए किसी भी कानूनी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है।

इस रिपोर्ट के किसी भी भाग को प्रिया की पूर्व अनुमति के बिना पुनःप्रस्तुत या पुनर्मुद्रित नहीं किया जा सकता है।